राजस्थान विधान सभा

सप्तम् बैठक, दिनांक १८ फरवरी, १९५३ ।

(सदन का कार्य २ बजकर ४ मिनट पर प्रारम्भ हुआ)

(अध्यक्ष, श्री नरोत्तम लाल जोशी, पदासीन)

प्रश्न संख्या १३६

श्री छीतरलाल शर्मा—क्या मुख्य मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का जवाब देने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार जिला बूंदी की कुछ तहसीलों को समाप्त करके उनके ग्राम इसी जिले की शेष तहसीलों में या किसी दूसरे जिले की तहसीलों में विलीन करना चाहती है ? यदि हां, तो किस किस तहसील को किस किस प्रकार से ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—दूसरे राज्यों की समान इकाइयों की तुलना में राजस्थान की बहुत सी तहसीलें क्षेत्रफल, जनसंख्या तथा आय में छोटी हैं। शासन संबन्धी व्यय को कम करने की योजना के एक भाग स्वरूप कलेक्टरों से यह पूछा गया था कि किस सीमा तक तहसीलों का पुनः संगठन संभव हो सकता है । उनसे प्राप्त हुए उत्तर सरकार के विचाराधीन हैं और उन पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

श्री खेतसिंह—इसका निर्णय कब तक लिया जायगा ?

श्री जयनारायण व्यास—जब पूरी तौर से विचार हो चुकेगा ।

श्री खेतसिंह—पूरी तौर से विचार होने में कितना समय लग सकता है ?

श्री जयनारायण व्यास—यह निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता ।

श्री हिम्मतसिंह—क्या इस विषय में पब्लिक की भी राय ली जायगी ?

श्री जयनारायण व्यास—शासन की इकाइयों के पुनः संगठन में पब्लिक की राय लेना कोई आवश्यक नहीं; अगर उससे कोई कठिनाई हो तो लोकमत जानना उचित हो सकता है ।

एक सदस्य-शाहपुरा निजामत को जो हटाया गया है अगर लोकमत उसके विरोध में राय देगा तो क्या रीकन्सीडर किया जायगा ?

श्री जयनारायण व्यास—लोकमत के आधार पर कभी शासन की इकाइयों का निर्णय नहीं किया जाता। अगर सरकार के पास-जैसा कि मैंने पहले कहा, जहां साधन होंगे और जिन साधनों से १६,२७,२६ भोमियों को ६×१० फीट के लॉक-अप में नही पड़ना पड़े। ऐसे साधन जहां उपलब्ध होते हैं उव पर विचार किया जा सकता है।

श्री हिम्मतसिंह--पब्लिक की सुविधा को कन्सीडर किया जायगा ?

श्री जयनारायण व्यास—अवश्य।

श्री हनवन्तसिंह—क्या जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट को हटा दिया गया है? क्या उस पर फिर से विचार किया जायगा ?

श्री जयनारायण व्यास—जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट को हटाने में जैसलमेर की आबादी, आमदनी और काम को देखकर उसे जिला हटाने का निश्चय उचित समझा गया; लेकिन यह सब कुछ होते हुए भी जैसलमेर के लम्बे लम्बे रास्ते व वहां का शासकीय सेट-अप किस प्रकार का होना चाहिए इस पर विचार हो रहा है। बहुत सभव है कि इससे जैसलमेर के लोगों को शिकायत न हो; इस तरह की व्यवस्था हो जायगी।

श्री दिलीपसिंह--क्या जैसलमेर को लंबे लंबे रास्तों से मिलाने के लिए सड़कें बनाई जायंगी ?

श्री अध्यक्ष--आर्डर ! आर्डर !

श्री हिम्मतसिंह--क्या जिलों में भी कुछ रद्दोबदल होगा ?

श्री जयनारायण व्यास—इस विषय में विचार करने के लिए कुछ मसाला इकट्ठा जरूर किया गया था; किन्तु अब तक इस पर विचार नहीं हुआ।

श्री रामदयाल उपाध्याय—क्या जो कुछ विचार होगा वह सदन की जानकारी के लिए सदन के सामने रखा जायगा ?

श्री जयनारायण व्यास—शासकीय निर्णय जो होते हैं वे सब सदन के सामने रखना कोई जरूरी नहीं है। कानून के अनुसार जो जरूरी होता है वह सदन के सामने रखा जाता है, बाकी मामलों में शासन स्वयं तय करता है।

श्री हिम्मतसिंह—क्या डिविजनों में भी कुछ रद्दोबदल होगा ?

श्री जयनारायण व्यास--यह प्रश्न इस प्रश्न से संबन्धित नहीं है।

प्रश्न संख्या १३७

श्री छीतरलाल शर्मा--क्या मुख्य मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का जबाब देने की कृपा करेंगे:-

Page No.3

राजस्थान सरकार डिस्ट्रिक्ट बाउन्ड्रीज रीएडजेस्टमेन्ट स्कीम में डिस्ट्रिक्ट्स को किस किस आधार पर और किन किन कारणों से रिएडजेस्ट कर रही है ?

श्री जयनारायण व्यास--जिन जिन जिलों की सीमाओं का पुनः संगठन हो रहा है वे कारण पृष्ठ संख्या १३६ पर बताये जा चुके हैं । निश्चित आधार अब तक तय नहीं हुआ है ।

श्री खेतसिंह—किन किन डिस्ट्रिक्टों की बाउन्ड्री को रीएडजेस्ट किया जा रहा है ?

श्री जयनारायण व्यास—मैंने कहा अब तक किन किन जिलों की सीमायें वापिस पुनः स्थापित होनी चाहिये; इस विषय में कोई विचार नहीं हुआ ।

श्री वीरेन्द्रसिंह--क्या सीमाओं को पुनःस्थापित करने में धारा सभा के सदस्यों की राय ली जायगी ?

श्री जयनारायण व्यास--मैंने इसका उत्तर पहले दे दिया है।

श्री कानसिंह--क्या यह स्कीम सरकार गुप्त रख रही है ?

श्री जयनारायण व्यास--गुप्त रखने का कोई कारण ही नहीं । जब तक किसी चीज पर विचार नहीं हुआ तब तक वह स्वयं ही गुप्त रहती है ।

श्री रामदयाल उपाध्याय--यह विचार कब तक हो जायगा ?

श्री जयनारायण व्यास--अब तक विचार के लिए नहीं रखा गया, कब तक रखा जायगा इसके लिए निश्चित उत्तर नहीं दिया जा सकता ।

श्री खेतसिंह--विचार होने से पहले ही जैसलमेर डिवीजन को क्यों तोड़ दिया गया ?

श्री जयनारायण व्यास--इसका उत्तर दिया जा चुका है ।

श्री भैरोंसिंह--सीकर को डिस्ट्रिक्ट न रखने के बारे में भी सरकार ने विचार किया है।

श्री अध्यक्ष--He has already given a reply.

प्रश्न संख्या १३८

श्री भोपालसिंह—क्या सिंचाई मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।--

(अ) तहसील मेडता के ग्राम हरसोर के बंध की मरम्मत कराने में इतनी देर कैसे की गई है और इसका क्या कारण है ?

(ब) क्या सरकार हरसोर के बांध योजना को ५३–५४ के बजट में रख कर इसी साल काम चालू कराने की कृपा करेगी ?

श्री भोगीलाल पंड्या (सिंचाई मन्त्री) —

(अ) रुपयों की कमी के कारण हरसोर बांध की मरम्मत अभी तक नहीं की गई थी। अब भारत सरकार से ३० लाख रुपया माइनर ईरिगेशन कार्यों के लिए मिल जाने पर यह कार्य शुरू कर दिया गया है।

(ब) रुपयों का प्रबन्ध हो जाने पर यह कार्य शुरु हो गया है। इसलिए यह प्रश्न नहीं उठता है।

(इस प्रश्न से सम्बन्धित विशेष सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री खेतसिंह —इस बात के लिए कितने रुपये की मंजूरी दी गई है ?

श्री भोगीलाल पंड्या —१ लाख जिसमें से ६६ हजार रुपये का एस्टीमेट हुआ है।

एक माननीय सदस्य—पूरा खर्च कितना लगेगा ?

श्री भोगीलाल पंड्या —६६ हजार रुपये।

प्रश्न संख्या १३६

श्री भवानीसहाय—क्या सिंचाई विभाग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–

(क) बन्ध सूरेर, तहसील, राजगढ़, जिला अलवर, की हालत कैसी है ? क्या इसमें सिंचाई के लिए पानी है ?

(ख) यदि इसमें पानी नहीं रुकता तो इसकी मरम्मत क्यों नहीं कराई जाती ?

(ग) अलवर जिले में कितने बन्धों की मरम्मत सन् १९५१–५२ में हुई है, कृपया सूची बतलावें उन पर कितनी रकम खर्च हुई ?

(घ) सूरेर बन्ध की मरम्मत में कितनी रकम खर्च होगी ? क्या सरकार इस बन्ध की मरम्मत कराना पसंद करेगी ?

(ङ) अलवर जिले में कितने बन्ध हैं ? इनमें से कौन कौन से बेकार हैं ? मरम्मत तलब कितने हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या (सिंचाई मंत्री)–

(क) यह एक जमीदारी बन्ध है और बहुत समय से टूटा पड़ा है। इसमें पानी बिल्कुल नहीं है।

(ख) इस प्रकार के बहुत से बन्ध अलवर जिले में टूटे पड़े हैं । इनकी एक एक करके मरम्मत कराने का प्रयत्न किया जा रहा है । जिस कदर रकम बजट में मिल सकती है, उसी प्रकार कार्य कराया जा रहा है ।

(ग) सन् १९५१-५२ में लगभग ३० बन्धों की मरम्मत करादी गई है।

(घ) सूरेर बन्ध पर होने वाले खर्चे का लगभग २० हजार रुपये का अनुमान है । अभी इस बन्ध की मरम्मत कराने की योजना नहीं है ।

(ङ) अलवर जिले में सरकारी बन्ध लगभग १२५ हैं और इनमें से २० बन्ध बेकार हैं जिनकी सूची सदन की मेज पर रखी गई है । लगभग २५ बन्ध मरम्मत तलब हैं । सन् १९५१-५२ में बन्धों की मरम्मत में ६ लाख रुपये खर्च हुए हैं ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री गुरूदयालसिंह सन्धु--बन्ध कब से टूटे पड़े हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या (सिंचाई मंत्री)--बहुत समय से ।

श्री गुरूदयालसिंह सन्धु--राजस्थान बनने के पहले से ?

श्री भोगीलाल पंड्या (सिंचाई मंत्री)--राजस्थान बनने से काफी पहले से ।

श्री भवानीसहाय--इनके कब तक बनने की आशा की जाय ?

श्री भोगीलाल पंड्या (सिंचाई मंत्री)--प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा है कि रुपया जब मिलेगा तब सुविधानुसार बनाने का विचार किया जा सकता है ।

श्री गुरूदयालसिंह सन्धु--क्या राजस्थान में जो दूसरे बन्ध टूटे पड़े हैं उन्हें भी बनाने की योजना है ?

श्री भोगीलाल पंड्या (सिंचाई मंत्री)--जी हां। हर जिले में किया जा सकता है । सब जगह इसी रफ्तार और इसी ढंग से किया जा सकता है । यह कोई अलवर जिले के लिए विशेष व्यवस्था नहीं है ।

श्री हिम्मतसिंह--बांध का मतलब तालाब के बान्ध से है या इरोजन बन्ध से ?

श्री भोगीलाल पंड्या (सिंचाई मंत्री)--बन्ध से तालाब और इरोजन बन्ध दोनों से मतलब है ।

श्री हिम्मतसिंह--कोटा डिस्ट्रिक्ट में कितने इरोजन बन्ध हैं ?

Page No.6

श्री अध्यक्ष–This is a separate Question.

श्री हिम्मतसिंह–उनको भी लिया जायगा ?

एक माननीय सदस्य–जी हां।

प्रश्न संख्या १४०

श्री श्यामलाल गोयल—क्या स्वायत्त शासन मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) जिला सवाई माधोपुर में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कब से कायम हुआ है ?

(ख) अब तक कितना रुपया बतौर सेस खालसा इलाकों से वसूल हुआ है ?

(ग) क्या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट जयपुर के आदेशानुसार उक्त सेस के बराबर रकम सरकार ने बोर्ड को सहायता के रूप में दी है ?

(घ) अगर नहीं। तो क्यों नहीं ?

(ङ) सरकार इस रकम को कब तक देगी ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—

(क) जिला सवाई माधोपुर में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड माह अक्तूबर सन् १९४८ में स्थापित हुआ था।

(ख) सन् १९४८ से अब तक बतौर सेस खालसा इलाकों से ६,१२,६१५ रु० १ आ० ३ पा० वसूल हुए।

(ग) नहीं

(घ) डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के कोष में प्रचुर मात्रा में धन होने के कारण सरकारी सहायता नहीं दी गई; आवश्यकता होने पर दे दी जायगी।

(ङ) यह प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री श्यामलाल गोयल—क्या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट के तहत खालसा से जितना रुपया सेस में लिया जाय उतनी मात्रा में सहायता डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को देने का कोई नियम है या नहीं ?

श्री रामकरण जोशी—(स्वायत्त शासन मंत्री)—नियम है, इसके बारे में जवाब दिया है।

श्री श्यामलाल गोयल—फिर भी रुपया क्यों नहीं दिया गया ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पास में जितना रुपया है उतना रुपया खर्च नहीं होने से नहीं दिया गया।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु--क्या और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को भी इस तरह की सहायता दी जाती है ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)--जी नहीं। इसको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट जयपुर, यानी फॉर्मर जयपुर स्टेट के एक्ट के तहत दिया जाता है।

श्री श्रीदास गोयल--क्या सरकार इस रुपये को देने का विचार रखती है ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)--मैंने निवेदन किया है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पास जो रुपया है वह खर्च हो जायगा तो और रुपया दिया जा सकेगा।

श्री श्यामलाल गोयल--क्या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सवाई माधोपुर में इसकी मांग नहीं है ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)--रुपया उनके पास मौजूद है, वह खर्च नहीं हुआ है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या यह रकम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सरकार के पास जमा है, ऐसा समझा जाय।

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)--यह सरकारी सहायता है। किसी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की जमा नहीं है।

श्री श्रीदास गोयल--क्या प्रतिवर्ष रुपये जमा नहीं होते हैं ? क्या पुराने रुपये नहीं जमा हैं सरकारी सहायता के ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)--नहीं, लेप्स हो जाते हैं।

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ़)--क्या सरकार ने और किसी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को इस तरह की रकम नहीं दी ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)--यह सेपेरेट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है ?

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु--क्या सरकार दूसरे डिस्ट्रिक्ट बोर्डस का.................

माननीय अध्यक्ष--ऑर्डर, ऑर्डर !

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)--सरकार सारे राजस्थान के लिए एक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट आपके सामने ला रही है। उसमें यह सब प्रोवीजन है।

श्री श्यामलाल गोयल--क्या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड इस रुपये की मांग कर रहा है ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)--डिस्ट्रिक्ट बोर्ड माना कि रुपये की मांग कर रहा है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पास जितना रुपया है वह खर्च नहीं किया गया है; इसलिये नहीं दिया जा सकता है।

एक माननीय सदस्य--क्या सरकार को मालूम है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पास रुपया जमा है और उन रुपयों को खर्च करने के लिये गवर्नमेन्ट की मंजूरी नहीं दी जाती है ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)--मैं समझता हूं कि जिनके पास रुपया है उनको इजाजत जरूर दी जाती है ।

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ़)--जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट में ऐसा कोई प्रोवीजन नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सहायता के रुपये अगर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पास पैसा हो तो नहीं दिया जाय । यह कौन से कानून के मातहत रकम रोकी गई है ?

माननीय अध्यक्ष--ऑर्डर, आर्डर ! नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या १४१

श्री श्यामलाल गोयल--Will the Minister for Local Self Government please inform :—

(1) Whether Town Improvement Scheme was started for Gangapur, District Sawai Madhopur in the former Jaipur State?

(2) Were lands allotted to person or persons under that scheme?

(3) If so, to how many and when?

(4) Have the allottees made constructions on them?

(5) Has any rent or Nazrana been realised from them till now?

(6) If not, why not?

(7) Have any unauthorised constructions been made in that area?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)--

(१) हां ।

(२) हां ।

(३) सन् १६४८ में ४ प्लॉट उद्योग धन्धों के लिए तथा एक प्लॉट निवासस्थान के लिए दिया गया ।

(४) जिनको प्लॉट दिये गये थे उनमें से कुछ व्यक्तियों ने इमारतें बनवाली हैं ।

(५) नहीं ।

(६) जिन व्यक्तियों के लिये प्लॉट दिये गये थे उन्होंने तत्कालीन जयपुर सरकार को इस आशय का आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया । योजना के लिए नजराना और अर्बन असेस-

Page No.9

मेंट की जो दरें स्वीकृत की गई हैं वें बहुत ऊंची हैं और उनमें कुछ कमी होना चाहिये । उनके इस आवेदन-पत्र पर पूर्ण विचार करने के पश्चात् सरकार ने सवाई माधोपुर कलेक्टर को यह आज्ञा प्रदान की कि जिन व्यक्तियों को प्लॉट दिये गये हैं उनसे यह लिखितरूप में भी लिया जाय कि जो सरकार द्वारा दरें निश्चित की जायेगी उन्हें वे चुका देगें । उपरोक्त आज्ञानुसार सवाई माधोपुर के कलेक्टर ने उन लोगों से ऐसा-लिखित रूप में ले लिया है । दरें सरकार के विचाराधीन हैं ।

(७) कुछ लोगों नें छोटे मोटे निर्माण कार्य बगैर स्वीकृति के किये हैं; किन्तु मंत्री, स्वायत्त शासन विभाग ने मौका देखकर एस.डी.ओ.गंगापुर, को उन्हें तुरन्त हटवाने का आदेश दे दिया है ।

श्री श्यामलाल गोयल—कन्स्ट्रक्शन कब कर दिये गये ?

श्री रामकरण जोशी(स्वायत्त शासन मंत्री)—चार साल से ।

श्री श्यामलाल गोयल—यह चार साल से अब तक क्यों नहीं किये गये ? कितना नजराना या असेसमेंट लिया जायगा ? ४ साल से मकान बने; इतनी ढिलाई क्यों की गई ।

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—चार साल पहले की बात में उस तरीके से नहीं बता सकता । लेकिन कलेक्टर और एस.डी.ओ. की रिकमन्डेशन्स के बेसिस पर अभी वे विचाराधीन हैं और उनकी रिकमन्डेशन पर ही नजराने की दरें निश्चित की जाती हैं ।

श्री श्यामलाल गोयल—यह कब तक तय हो जायगी ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—जल्दी ही ।

श्री श्यामलाल गोयल—"जल्दी ही" का मतलब एक महीना या २ महीना या ५ साल या १० साल; किससे है ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—मैं समझता हूं कि 'जल्दी' से जो मतलब निकल सकता है, वह है ।

प्रश्न संख्या १४९

श्री तेजमल बापना—क्या रिलीफ एवं रिहेबिलिटेशन मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का जवाब देने की कृपा करेंगे—

१. भीलवाड़ा नगर व उदयपुर शहर में कितने शरणार्थी रहते हैं ?

२. इन दोनों स्थानों पर उनके निवासस्थान व दुकानों के लिए कितना कितना रूपया खर्च किया गया है ?

(३) क्या यह सही है कि भीलवाड़े में कितने ही शरणार्थी आज भी बेघरबार हैं और धर्मशालाओं में रह रहे हैं; जिनको न्यायालयों द्वारा निकाला जा रहा है ?

(४) क्या भीलवाड़ा के शरणार्थियों को बसाने के लिये भी सरकार के पास कोई योजना है ? यदि हां, तो वह क्या है ? कब तक उसके कार्यान्वित होने की संभावना है ? और यदि नहीं तो क्यों ?

श्री अमृतलाल यादव (पुनः संस्थापन मंत्री)—

(१) भीलवाड़ा नगर तथा उदयपुर शहर में क्रमशः ३७८४ और ८०५५ शरणार्थी रहते हैं।

(२) निवास के लिये उदयपुर शहर में १८२ मकान सहकारी निर्माण समितियों द्वारा बनाये जा रहे हैं; जिनपर सरकार का ४,८५,०००) रु० खर्च होगा। १०० मकान पूर्णतया सरकारी खर्च पर बनाये जा रहे हैं, जिन पर २,००,०००) रु० खर्च होगा। इस प्रकार उदयपुर में ६,८५,०००) रु० खर्च होगा।

भीलवाड़े में १०० मकान बनाने की योजना केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के लिये भेजी हुई है, जिस पर १,४०,०००) रु० खर्च होगा।
इस प्रकार दोनों स्थानों पर कुल निवास खर्च ८,२५,०००) रु० सरकार की ओर से खर्च होंगे।

दुकानों के विषय में उदयपुर नगर में ७५ स्टॉल और २० पक्की दुकानें सरकारी खर्च पर बनाई जा चुकी हैं। इन पर ५०,१५१) रु० खर्च हुआ था।
भीलवाड़े में पुरुषार्थियों द्वारा ४० पक्की और ११४ स्टॉल पहले ही बनाये जा चुके हैं।

इनके अतिरिक्त चालू वर्ष में १८ दुकानें पक्की और बनवाने की स्वीकृति हो चुकी है जिन पर सरकार की ओर से ६,०००) रु० खर्च होंगे। स्वायत्त शासन विभाग द्वारा स्थानों की स्वीकृति मिलते ही कार्य प्रारम्भ कर दिया जायगा।

(२) भीलवाड़े में लगभग १०० शरणार्थी परिवार धर्मशालाओं या प्राइवेट मकानों में रहते हैं। प्रारम्भ में यह मकान सरकार ने शरणार्थियों को थोड़े समय के लिये दिलवाये थे; फिर यह निश्चय किया गया कि ३१ अक्तूबर, सन् १९४९ तक इन मकानों का किराया सरकार देगी और उस तारीख के पश्चात् शरणार्थी किराया देंगे। जिन शरणार्थियों ने मकानों का किराया नहीं दिया है उनके खिलाफ मकानों के मालिकों ने न्यायालयों में दावे करके डिग्री प्राप्त की है। यदि शरणार्थी किराया दे देता तो यह नोबत नहीं आती।

(४) जैसा कि ऊपर बताया गया है भीलवाड़े में १०० मकान १,४०,०००) रु० के खर्चे पर बनवाने का प्रस्ताव है। भारत सरकार की स्वीकृति आते ही स्थानों का निश्चय होने पर शीघ्र ही कार्य प्रारम्भ कर दिया जायगा।

एक सदस्य--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उदयपुर में परतापगढ़ में शरणार्थियों की क्या तादाद है ?

श्री अमृतलाल यादव--यह तो दूसरा प्रश्न है । यदि इसके बारे में भी आप पूछेंगे तो उसका जवाब भी दिया जाएगा ।

श्री हिम्मतसिंह--जो शरणार्थी किराया नहीं दे रहे हैं उसकी वसूली का सरकार ने क्या इन्तजाम किया है ?

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु--इस प्रकार के मकान बनाने की योजना उदयपुर-भीलवाड़ा को छोड़ कर किसी दूसरी जगह के लिये भी है क्या ?

श्री अमृतलाल यादव--हां, है ।

श्री हिम्मतसिंह--परतापगढ में जो शरणार्थियों के लिये मकान बनाए गये हैं उनमें क्या शरणार्थी रहते हैं या सियार रहते हैं ?

श्री अमृतलाल यादव--मैंने आपका प्रश्न सुना नहीं ।

श्री हिम्मतसिंह--मैं यह दर्याफ्त करना चाहता हूं कि परतापगढ़ में शरणार्थियों को बसाने के लिये मकान बनाये गये उनमें शरणार्थी रहते हैं या सियार रहते हैं ?

श्री अध्यक्ष--ऑर्डर, ऑर्डर ।

श्री तेजमल बापना--मेरे प्रश्न के दूसरे भाग में मैंने यह पूछा था कि दोनों स्थानों पर उनके निवासस्थान व दुकानों के लिये कितना कितना रुपया खर्च किया गया । मंत्री महोदय ने बतलाया कि इतना रुपया खर्च करने की योजना है । मैं यह पूछना चाहता हूं कि कितना रुपया उदयपुर में और कितना भीलवाड़े में खर्च हुआ; उसका उत्तर सरकार ने नहीं दिया ।

श्री अमृतलाल यादव--इन रुपयों को खर्च करने में मैंने डेफिनिट इसलिये नहीं कहा क्योंकि अभी तक काम खतम नहीं हुआ है और जब तक काम खतम नहीं हो तब तक डेफिनिट आंकड़े मालूम नहीं हो सकते; इसलिये निश्चित आंकड़े काम खतम होने पर ही बतलाये जा सकते हैं ।

श्री तेजमल बापना--अब तक कितना रुपया अन्दाजन खर्च किया गया है, क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी ?

श्री अमृतलाल यादव--मैंने अपने उत्तर में इसके आंकड़े बतला दिये हैं ।

श्री रामदयाल--अध्यक्ष महोदय, उनको रीपीट करवा दें तो ठीक होगा ।

श्री तेजमल बापना--क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि उदयपुर में जो मकान शरणार्थियों के लिये बनाये गये वे क्या खाली पड़े हैं या उनमें कोई रह रहे हैं।

श्री अमृतलाल यादव--मैंने इसका उत्तर दे दिया है। मैंने अपने उत्तर में कहा है कि १०० मकान बनने शुरू हुए हैं।

एक सदस्य--झुन्झुनू जिले में करोड़ों रुपयों के बिल्डिंग्ज यों ही बरबाद हो रही हैं; क्या सरकार उनका उपयोग करेगी।

श्री अमृतलाल यादव--क्यों नहीं। मैं करोड़ों रुपयों की संपत्ति को लेने के लिये तैयार हूं।

श्री मोतीलाल--जो मकान बनाये गये हैं, वे सब मकान पक्के हैं या उनमें कुछ कच्चे भी हैं।

श्री अमृतलाल यादव--सब पक्के हैं।

श्री तेजमल बापना--जो रकम ५ वर्षों में मंजूर नहीं हुई तो अब कब तक वे मकान बन जावेंगे।

श्री अमृतलाल यादव--मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य का मतलब भीलवाड़े से है वहां पर बहुत जल्दी ही कार्य प्रारम्भ हो जावेगा।

श्री रामदयाल--उदयपुर में भी कुछ दुकानें सरकार ने बनाई, भीलवाड़े में भी बनाली हैं क्या?

श्री अमृतलाल यादव--जो पुरुषार्थियों ने बनाये वे अलग हैं और जो सरकार बना रही है वे अलग हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या सरकार को यह मालूम है कि पक्के बनने वाले मकान कच्चे निकलते हैं।

श्री अमृतलाल यादव--यह बात गलत है।

श्री रामदयाल--१८ दुकानें बन ई गई या बन रही हैं?

श्री अमृतलाल यादव--आपने मेरा उत्तर नहीं सुना। भारत सरकार से मंजूरी आते ही बननी शुरु हो जाएंगी।

श्री रामदयाल--क्या वहां पर एक भी दुकान अभी तक नहीं बनाई गई?

श्री अध्यक्ष--नेक्स्ट।

Page No.13

प्रश्न संख्या १४३

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु--क्या पुनः संस्थापन मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का जवाब देने की कृपा करेंगे--

(क) गंगानगर जिले में मुसलमानों की कितनी भूमि है ?

(ख) उसमें से कितनी इस साल ऐसी भूमि मिली है जो सरकारी कर्मचारियों या नाजायज लोगों के कब्जे में थी, तहसीलवार बतलाई जावे ?

श्री अमृतलाल यादव (पुनः संस्थापन मंत्री)--(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु--क्या अब भी बहुत सी भूमि सरकारी कर्मचारियों और दूसरे लोगों के पास है ?

श्री अमृतलाल यादव--मैंने आपसे निवेदन किया कि उसकी जांच की जा रही है।

श्री कानसिंह--यह जांच कब शुरु की गई ?

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु--४ हजार बीघा के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री अमृतलाल यादव--उसकी नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है ?

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु--किन किन के खिलाफ कार्यवाही की गई ? किसी एक के खिलाफ कार्यवाही की गई हो तो उसका नाम बतलाया जाएगा क्या ?

श्री अमृतलाल यादव--माननीय सदस्य जानना चाहेंगे तो उनके नाम भी बतला दिये जाएंगे। अभी तो जांच हो रही है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या सरकार बतलाएगी कि उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री अमृतलाल यादव--कानूनी कार्यवाही की जा रही है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या कानूनी कार्यवाही की जा रही है ? क्या उन्हें सस्पेन्ड किया गया है ?

श्री अमृतलाल यादव--जांच समाप्त हो जाने पर एक्शन लिया जावेगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास--मैंने यह पूछा कि क्या कार्यवाही की जा रही है।

श्री अमृतलाल यादव--इसकी जांच की जा रही है कि इसमें कौन कौन से सरकारी कर्मचारी शामिल हैं और दूसरे कौन कौन हैं। इसकी पूरी रिपोर्ट आने पर ही कहा जा सकता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार बतलाएगी कि कितनी जमीन के बारे में अभी तक जांच पूरी हो चुकी है ?

श्री मोतीलाल—कार्यवाही कब से चालू है ?

श्री अमृतलाल यादव—कार्यवाही अभी चालू है ।

श्री मोतीलाल—कब से चालू है ?

श्री अमृतलाल यादव—करणपुर तहसील में जमीनें मिली; उसके लिये आंकड़े बताये और दूसरी जगहों के आंकड़े मंगाये गये हैं ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह जांच कब शुरु की गई ?

श्री अमृतलाल यादव—जब से सरकार के पास शिकायत प्राप्त हुई है ।

श्री कानसिंह—क्या कोई भी जांच अभी तक हुई है ?

श्री अमृतलाल यादव—जांच हुई है ।

प्रश्न संख्या १४४

श्री छीतरलाल शर्मा—क्या मुख्य मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का जवाब देने की कृपा करेंगे—

बूंदी जिले को डिस्ट्रिक्ट बाउन्ड्रीज रीएडजस्टमेन्ट स्कीम में इसकी बाउन्ड्री को बढा कर सरकार जिले को कायम रखना चाहती है, या नहीं ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—मामला विचाराधीन है अतः यह बताने का समय अभी नहीं आया है कि किस जिले का क्या भविष्य होगा ।

श्री खेतसिंह—यह "विचराधीन-विचाराधीन" क्या चीज है ? यह बताया जाय कि कब तक निर्णय हो जायगा ।

श्री जयनारायण व्यास—विचार जब केबिनेट के सामने अन्तिम रूप से आ जायगा, और मामला जब पूरी तरह से तय हो जायगा तब आपको सूचना दे दी जायगी । अभी विचार परिपक्व नही हुआ है ।

श्री खेतसिंह—विचार परिपक्व कब होगा ?

श्री जयनारायण व्यास—जब समय आयगा ।

श्री खेतसिंह—समय कब आयगा ?

श्री जयनारायण व्यास—किसी चीज के पूरे तौर पर तय हो जाने से पहले उसके बारे में निश्चित रूप से कुछ कहना मेरे ख्याल में अच्छी चीज नहीं है।

श्री हिम्मतसिंह—सरकार को विचार करने की फुर्सत भी है कि नहीं ?

श्री जयनारायण व्यास—विचार करने की फुर्सत, है तभी तो विचार किया जा रहा है।

प्रश्न संख्या १४५

श्री तेजमल बापना—क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का जवाब देने की कृपा करेंगे:—

(अ) भीलवाड़ा नगर में कुल कितने दफ्तर व न्यायालय हैं ?

(ब) उनमें से कितने सरकारी इमारतों में हैं और कितने किराये पर हैं ?

(स) मासिक किराया सरकार को कुल कितना देना पड़ता है और गत चार वर्षों में कितना दिया गया ?

श्री जयनारायण व्यास—मैं समझता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर सोमवार को दिया जा चुका है।

प्रश्न संख्या १४६

श्री हरिकृष्ण व्यास— Will the Chief Minister be pleased to answer :—

(*a*) What is the total number of Government employees at present classed as temporary?

(*b*) How many of them have put in more than three years service?

(*c*) Does the Government propose to make such employees as have put in three or more than three years service as permanent?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)-(*a*) Information regarding the total number of non-gazetted temporary employees is not readily available. As regards gazetted employees, their number is 49.

(*b*) 5.

(*c*) If the five Gazetted employees mentioned in (*b*) above, who are medical officers are finally selected by the Public Service Commission they are likely to be made permanent.

श्री हरिकृष्ण व्यास-Sir, I am not satisfied with the answer given by the Hon'ble Chief Minister in regard to (*a*). When a question is placed for answer it is expected that it will be answered. I sought information in regard to Government

employees and more particularly for non-gazetted employees. Unfortunately that part of the question has not been answered and therefore either this question should not be treated as having been answered today or in the alternative the Minister-in-charge of the Government should give that information also today.

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—The question was wide, Sir. It related to non-gazetted temporary employees and the figure of these non-gazetted temporary employees is always fluctuating. It is, therefore, impossible to give answer to such a wide and vague question, specially when it relates to employees who are not employed by Government, I mean, the Secretariat, but who are employed by Departments and different Districts and even in Tehsils, by P.W.D. and so on and so forth, Sir.

श्री जसवन्तसिंह—माननीय अध्यक्ष, १५ दिन का नोटिस सवाल के लिये दिया जाता है तो फिर क्या कारण है कि १५ दिन के अन्दर भी हमारी गवर्नमेंट प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकती ?

श्री जयनारायण व्यास—यह कोई डेफिनेट सवाल नहीं है । १५ दिन में ऐसे फ्लक्चुएशन भरे सवाल के जवाब की आशा करना बहुत ज्यादा आशा करना है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मेरा ख्याल है कि प्रश्न ठीक है या गलत, वेग है कि डेफिनेट, वाजिब है या गैर वाजिब; इसके तय करने का अधिकार अध्यक्ष महोदय को है, ना कि मुख्य मंत्री को; न ही अब तक यह अधिकार सदन के नेता को उपलब्ध हो सका है । जब मेरा प्रश्न उत्तर के लिये मान्य करार दिया जा कर यहां रख दिया गया है तो इसका उत्तर नहीं देना और इस प्रकार की आलोचना करना क्या माननीय अध्यक्ष के फैसले की आलोचना नहीं है ?

श्री जयनारायण व्यास—माननीय अध्यक्ष, यह फैक्टस् को गलत रख रहे हैं। माननीय अध्यक्ष प्रश्न रखने की इजाजत देंगे, यह अधिकार उन्हीं को है किसी दूसरे को नहीं; परन्तु जब यह उनकी समझ में आजायगा कि उसका उत्तर देना किसी मिनिस्टर के अधिकार (ताकत) का नहीं, उसका उत्तर देने में गवर्नमेंट को इस लिए दिक्कत है कि जिस तरह के अंक एकत्रित किये जाने की आशा की जाती थी उस तरह के अंक एकत्रित नहीं किये जा सकते तो उसका जितना मंत्री दे वही पर्याप्त उत्तर समझा जाय।

श्री जसवन्तसिंह—क्या हम हमारी योग्य सरकार से आशा कर सकते हैं कि वह अपनी जिंदगी के अर्से में जो कि चार साल की बाकी रह गई है, उत्तर दे सकेगी ।

श्री जयनारायण व्यास—यह प्रश्न उत्तर के लायक नहीं है ।

श्री जसवन्तसिंह—क्या मुकर्रर तारीख को भी इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता ?

श्री जयनारायण व्यास—यह गलत बात है कि इस तरह का वाइड प्रश्न किया जाय । अगर इस तरह का प्रश्न किया जाता कि अलग अलग महकमों में कितना टेंपरेरी स्टाफ है तो अलग अलग

महकमों के बारे में उत्तर दिया जा सकता था; लेकिन एक ही तरह लंबे-चौड़े प्रश्न में सब महकमों का जो अस्थाई स्टाफ है उसके बारे में निश्चित उत्तर देना; मैं समझता हूं मनुष्य की शक्ति के बाहर की बात है ।

श्री जसवन्तसिंह—यह प्रश्न वाजिब है या गैर वाजिब है; यह तय करने का अधिकार अध्यक्ष महोदय को है न कि मुख्य मंत्री को ।

श्री जयनारायण व्यास—उतनी मर्यादा में उत्तर दे दिया गया जितनी मर्यादा में कि उत्तर दिया जा सकता था । ज्यादा उत्तर प्राप्त करने का अधिकार प्रश्नकर्त्ता को है कि नहीं, इस पर अध्यक्ष महोदय निर्णय कर सकते हैं ।

श्री जसवन्तसिंह—यह सीधा सा प्रश्न है । ठीक प्रश्न का ठीक उत्तर देना चाहिये, पर ऐसा नहीं किया गया है । ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्य मंत्री इसका नहीं उत्तर दे सकते ।

श्री अध्यक्ष—The reply is there.

श्री जसवन्तसिंह—But it is absolutely wrong.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Sir, I want to make a submission on the point.

श्री अध्यक्ष—You want to ask for supplementary information?

श्री हरिकृष्ण व्यास—I want to raise some points of order.

श्री जयनारायण व्यास—But where is the point of order?

श्री हरिकृष्ण व्यास—I will raise the point of order. The whole matter relates to a particular question but unfortunately or fortunately it has led to a principle being involved and that principle is this. Under rule 28, certain things are laid down to determine the admissibility or otherwise of questions and rule 29 lays down the authority which shall decide this admissibility or non-admissibility, and that authority, as I submitted only a few minutes back, has been given only to the Hon'ble Speaker. So the principle which is before the House is this that after the question has been admitted by the Hon'ble Speaker whether it is open to any member, whether it be the Leader of the House or anybody else to challenge that question in regard to its admissibility or otherwise; this is the first issue.

श्री जयनारायण व्यास—Sir, I want to object to this.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I have already stated that I have something more to say.

(दोनों पक्षों के कुछ सदस्य बोलने को खड़े हुए)

श्री जसवन्तसिंह–Sir, One Member is in possession of the House.

श्री जयनारायण व्यास–On a point of personal explanation, Sir. As i have already explained, I have got a right to appeal to the Chair. Of course the Hon'ble Speaker has got the authority in the matter of recognising a particular question or not. But as I just now said I can reply to the extent I can give. Rule 26 clearly lays down that a question may be asked for the purpose of obtaining information on a matter of public concern within the special cognizance of the Minister to whom it is addressed. When a general question is asked, it can be replied to only in general terms by the Chief Minister to the extent he can do within the knowledge of his Department, and not to the extent in which my friend wants a reply. I have given a reply in a general way, Sir.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Mr Speaker, Sir. I will request you.

श्री अध्यक्ष—Your point is quite clear.

श्री हरिकृष्ण व्यास—No, Sir, I want to add something.

श्री अध्यक्ष—Order.

श्री हरिकृष्ण व्यास –May I get your permission to speak a few waords? My point is this that after a question has once been admitted, no member of the Treasury Benches can question its admissibility. That is my point.

श्री अध्यक्ष—Do you want to add something to it?

श्री हरिकृष्ण व्यास—The second point which must also be decided now, is that when a member is in possession of the House, is it possible for any other member to interrupt him and raise another point of order?

श्री अध्यक्ष—मुझे बडा आश्चर्य होता है कि मेम्बर साहबान क्वेश्चन ऑवर में बजाय सूचनाएं प्राप्त करने के चेयर की भावनाओं की तरफ इंगित करते हैं ।

सवाल यह है कि जो सवाल पूछा गया उसका जिन मर्यादाओं में उत्तर दिया जा सकता था उत्तर दे दिया गया । लीडर ऑफ दी हाउस प्रशासनिक दिक्कतों को बताते हुए, प्रश्न के विस्तार, स्कोप को देखते हुए जो उत्तर देते हैं वह अगर संतोषजनक न हो तो आप और क्वेश्चन कर सकते हैं, सप्लीमेंटरी कर सकते हैं, पर उसके लिये अकारण ही चेयर को वाद-विवाद में लाना उचित नहीं । चेयर की मर्यादाओं का खयाल रखते हुए चेयर को ऐसे वाद-विवाद में नहीं घसीटना चाहिये ।

श्री जयनारायण व्यास—हियर, हियर ।

श्री अध्यक्ष—ओर्डर, ओर्डर! संतोषजनक उत्तर नहीं हो तो हमारे बिजनेस में ऐसी चीजें हैं, ऐसे वैधानिक मार्ग हैं जिनमें माननीय सदस्यों को अधिकार है कि वे हाफ एन अवरडिस्कसन रेज (Half an hour discussion raise) कर सकते हैं, और आगे कई मौके आयंगे जब सवाल कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं । इस तरह वाद-विवाद करना मैं उचित नहीं समझता ।

श्री जसवन्तसिंह—सवाल यह रह जाता है कि जब माननीय मुख्य मंत्री सीधे सवाल का उत्तर भी नहीं देते हैं तो हमारे पास उसका क्या चारा रह जाता है ।

श्री अध्यक्ष—I am not here to guide the Hon'ble Members. They should read the Rules of Business and if the answers to questions are unsatisfactory there are so many ways open to the members under the rules of business. They can raise discussion and out of that discussion they can again table question after questions and force the Treasury Benches to give exact reply.

श्री जसवन्तसिंह—But, Sir, the Rules of Business have been studied by me. As far as I can understand them, the attitude that the Chief Minister has taken leaves us no ground whatsoever as to how we can elicit information, Sir.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I have to make some submission, Sir.

श्री अध्यक्ष—Order.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I want to submit a few points.

श्री अध्यक्ष—Order?

श्री हरिकृष्ण व्यास—But it is a very important point, Sir.

प्रश्न संख्या १४७

श्री भवानीसहाय—क्या सिंचाई विभाग के मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे—

(अ) डूंगरपुर, भीलवाड़ा, (उदयपुर डिवीजन) में सन् १९५१ से ५२ तक कितनी रकम सरकार ने बन्धों की मरम्मत में खर्च की है ?

(ब) कितनी रकम नये बन्ध बनवाने में खर्च हुई है ?

(स) सिंचाई विभाग का बजट डिविजन के हिसाब से खर्च होता है या डिविजन का लिहाज न रखा जा कर केवल आवश्यकता पर रहता है ?

(ह) सिंचाई विभाग का इस वर्ष का बजट क्या है ? इस रकम में से कितनी खर्च हो चुकी है और कितनी बाकी है ?

Page No.20

श्री भोगीलाल पंड्या—सन् ५१-५२ में डूंगरपुर जिले में ६२,७००) रुपये और भीलवाड़ा जिले में ७७,१५०) रुपये बंधों की साधारण और सालाना मरम्मत में खर्च हुए ।

(ब) नये बंधो में सन् ५१-५२ में डूंगरपुर जिले में ३०,७४०) और भीलवाड़ा जिले में १,४६,८४५) रुपये खर्च हुए ।

(स) सिचाई विभाग के बजट का रुपया हर एक डिविजन में वहां के काम की तादाद और आवश्यकता के अनुसार खर्च किया जाता है; कहीं कम और कहीं ज्यादा भी खर्च किया जाता है ।

(द) सिचाई विभाग का ५२-५३ का बजट २ करोड़ २८ लाख ६० हजार रुपये का था । दिसम्बर सन् ५२ तक करोड़ ड़ेढ करोड रुपया खर्च हो चुका है ।

एक माननीय सदस्य—नये बंधों में सरकार ने कितना खर्च किया और पुराने बंधों में कितना खर्च किया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं इसकी पूरी जानकारी आपको दे चुका हूं और टेबल पर भी रख दी गई है; आप कृपा करके देख लें ।

श्री भवानीसहाय—क्या बाकी रकम लेप्स नहीं हो जायगी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जैसा कि मैंने अर्ज किया, ड़ेढ करोड रुपया दिसम्बर तक खर्च किया जा चुका है और मार्च तक और खर्च होगा । बाकी जो रकम बचेगी वह लेप्स होगी ही; इसमें बतलाने की कौनसी बात है ।

श्री भवानीसहाय—बहुत सारे बांध बाकी पड़े हैं; उनमें क्यों नहीं खर्च किया जाता ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जी नहीं, इस तरह से खर्च नहीं किया जा सकता । जो काम जितने रुपयों में किया जाने वाला है वह रकम उसी काम में खर्च की जा सकती है ।

श्री सोहनलाल—क्या रकम लेप्स होने का कारण यह भी है कि स्टाफ पूरा नहीं है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जी नहीं ।

प्रश्न संख्या १४८

श्री भैरूंसिंह—क्या देवस्थान मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(अ) दिनांक ४ अक्टूबर को सरकार की ओर से मनाये जाने वाले हरिजन दिवस पर सरकार का क्या खर्चा हुआ ?

(ब) उस दिन किन किन स्थानों पर हरिजनों को मंदिर प्रवेश कराया गया ?

(स) जयपुर शहर, जो राजस्थान की राजधानी है, उसमें हरिजनों को मंदिर में क्यों नहीं प्रवेश कराया गया ?

(ड) इस दिवस पर मंदिर प्रवेश के समय क्या राजस्थान में हरिजनों एवं सवर्ण हिन्दुओं के आपस में कोई संघर्षहुआ ? यदि हां, तो कहां-कहां और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री भोगीलाल पंड्या-(अ) सरकार की ओर से मनाये जाने वाले हरिजन दिवस पर सरकार ने १८००) रु० निम्न प्रकार से खर्च किये:-

६००) रु० जयपुर डिविजन में, ३००) रु० कोटा डिविजन में, ३००) रु० जोधपुर डिविजन में, ३००) रु० बीकानेर डिविजन में और ३००) रु० उदयपुर डिविजन में ।

(ब) हरिजन दिवस पर निम्नलिखित जगहों पर हरिजनों ने मन्दिरों में प्रवेश किया :-

१. शाहपुरा, चारभुजा का मन्दिर, उदयपुर डिविजन ।

२. भादरा, करणीजी का मन्दिर, बीकानेर डिविजन ।

३. झालावाड, रामजानकी का मन्दिर
४. चेचट, महादेव जी का मन्दिर
५. छबडा, चतुर्भुज का मन्दिर
६. सिरोंज, माता जी का मन्दिर
} कोटा डिविजन ।

७. जैसलमेर, रामदेव जी का मन्दिर
८. सिवाना, चार भुजा का मन्दिर
९. बिलाडा, मंदिरों में दर्शन
१०. पचपद्रा, करणी जी का मन्दिर
११. बालोतरा, शिवबाड़ी का मन्दिर
} जोधपुर डिविजन

१२. दांता रामगढ, गोपी नाथ जी का मन्दिर
१३. अलवर, मन्दिरों में दर्शन किये
१४. बान्सूर, मुरली मनोहर का मन्दिर
१५. राजगढ, गोविन्द देवजी का मन्दिर
१६. तेजारा, मंदिर में गये।
१७. कोट कासिम, भूतेश्वर महादेव जी का मन्दिर
१८. भरतपुर, गंगा मन्दिर
} जयपुर डिविजन ।

(स) जयपुर शहर में मन्दिर प्रवेश के लिए हरिजनों की तरफ से कोई इच्छा प्रकट नहीं की गई, इसलिए यह कार्य क्रम नहीं रखा गया ।

(ड) सरकारी सूचना के अनुसार नोहर, पाली, बनेडा और रायसिंह नगर में कुछ मनमुटाव हरिजनों व सवर्णों में हुआ; किन्तु बाद में शान्ति पूर्वक निपटारा हो गया । टोंक में हरिजनों ने मंदिर प्रवेश का आग्रह किया था और इस पर कुछ अनबन भी हुई; किन्तु स्थिति समझ कर हरिजनों ने अपनी मांग वापस ले ली ।

श्री संतोषसिंह—इसमें जोधपुर का नाम नहीं आया कि वहां कौन से मंदिर में गये ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मंदिर प्रवेश आवश्यक या अनिवार्य हो; ऐसी बात नहीं थी। इसलिए यदि जोधपुर का नाम नहीं है तो गलत बात नहीं है।

श्री संतोषसिंह—जोधपुर में क्या यह दिन नहीं मनाया गया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—वहां यह दिन खूब मानाया गया। जाति बाहर करने की कई घटनाएं हुईं।

श्री संतोषसिंह—तब मंदिर प्रवेश क्यों नहीं हुआ ?

श्री भोगीलाल पंड्या—यदि आपने प्रोग्राम देखा होता तो आपको मालुम होता कि मंदिर प्रवेश अनिवार्य नहीं रखा गया था।

श्री संतोषसिंह—मैं रहता तो वहीं हूं। यदि आप प्रोग्राम भेजते तो देख लेता।

श्री गुरुदयाल सिंह संन्धु—क्या रायसिंह नगर में यह दिन मनाया गया था ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जी हां।

श्री जसवन्तसिंह—जहां जहां हरिजनों द्वारा मन्दिर प्रवेश हुआ, वहां सहर्ष हुआ या पुलिस की सहायता से ?

श्री भोगीलाल पंड्या—यहां से हिदायत सहर्ष ले जाने की थी।

श्री जसवन्तसिंह—क्या ऐसे कोई उदाहरण ध्यान में आये कि कहीं कहीं पर पुलिस की सहायता से प्रवेश कराया गया।

श्री भोगीलाल पंड्या—जहां तक सूचना है सहर्ष ले जाने की है; हो सकता है कि पुलिस वाले भी मंदिर में दर्शन करने जाने के लिये हरिजनों के साथ हो लिये हों।

श्री मानसिंह (ज. रा.)—क्या मंदिर प्रवेश में जैन मंदिर भी शामिल हैं ?

श्री तेजमल बापना—जैन मंदिरों में तो पहले से ही कोई रोक टोक नहीं है। प्रत्येक जैन धर्मावलम्बी चाहे वह किसी भी जाति का हो, मंदिर प्रवेश कर सकता है।

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ)—क्या माननीय मंत्री को मालूम है कि जमुवा रामगढ में जो मंदिर है उसमें प्रवेश करते समय झगड़ा हुआ ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जहां दकियानूसी विचारों के लोग हैं वहां प्रायः झगड़ा हुआ ही करता है और फिर थोड़े दिन बाद स्थिति सुधर जाती है।

Page No.23

श्री मानसिंह—क्या इसका मतलब यह है कि सरकार ऐसे मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी ?

श्री भोगीलाल पंड्या— मैं पहले ही बता चुका हूं कि मंदिर प्रवेश अनिवार्य नहीं था; फिर भी सवर्ण लोगों ने चाहा कि हरिजन मंदिर प्रवेश करें; इसलिये प्रवेश किया गया ।

श्री संतोषसिंह--फिर उन्हें पुलिस एस्कोर्ट के साथ क्यों भेजा गया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—यहां से कोई पुलिस नहीं भेजी गई । वे खुद गये हों हरिजनों के साथ, दर्शन करने के लिये, तो गये हों ।

एक सदस्य—क्या मंत्रीजी ने हरिजनों के यहां चाय पी ?

श्री भोगीलाल पंड्या--जी हां । खाली चाय पीने ही नहीं गया बल्कि माल उड़ाने भी गया ।

एक सदस्य--क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि रामदेवजी का मंदिर भी हरिजनों के लिये खुला कर दिया गया ?

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मंत्री)--मैंने आपको सूची पहले ही पढ कर सुना दी है। इसको मैं दुबारा पढना चाहूं तो मुझे इजाजत नहीं मिलेगी ।

श्री अध्यक्ष—दुबारा नहीं पढा जा सकता ।

श्री सन्तोषसिंह—रामदेवजी का मंदिर तो हरिजनों के खोलने के लिये नहीं है ।

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मंत्री)—वैसे देखा जाय तो सारे मंदिर हरिजनों के ही हैं; किन्तु लोगों ने अपना अपना अड्डा जमा रखा है ।

श्री गोपीलाल यादव--क्या माननीय मंत्रीजी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वे हरिजनों और गैर हरिजनों के भेद को कब तक कायम रखना चाहते हैं ।

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मंत्री)—मैं तो कभी उनमें भेद नहीं रखना चाहता; किन्तु मेरे साथी मुझे सहयोग नहीं देना चाहते हैं ।

श्री खेतसिंह—क्या हम साथियों से मतलब आपकी केबिनेट से लें ?

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मंत्री)-साथियों से मेरा मतलब हाउस के जो साथी हैं उनसे हैं ।

श्री कँवरलाल जेलिया--क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि हरिजन मंदिर प्रवेश बिल कब तक पेश होगा ?

Page No.24

श्री भोगीलाल पंड्या—मंदिर प्रवेश के सम्बन्ध में केन्द्र द्वारा एक्ट बनाया जा रहा है और जब वह बन जायगा तब इस बारे में सोचा जायगा ।

एक सदस्य—क्या इसमें धर्म विशेष का कोई हाथ है ।

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ) मेरा सप्लीमेन्टरी प्रश्न था और वह स्पष्ट बात को लेकर था। मैंने पूछा था कि करणीपुर में जो झगड़ा हुआ था उस सम्बन्ध में आपके पास कोई शिकायत नहीं पहुंची थी क्या ? यदि आपके पास शिकायतें आई तो उसके लिये क्या किया गया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—सरकार ने तो अपने ढंग से हल निकाल ही लिया और आपका प्रश्न खड़ा ही रह गया ।

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ)—सरकार का अपना ढंग क्या है वह मैं जानना चाहता हूं ? क्या राजस्थान का कोई नया ढंग है ?

(हंसी)

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मंत्री)—कुछ लोग आपस में लड़ते ही रहे और मुंह ताकते ही रह गये । जिन लोगों को दर्शन करना था वे हरिजन और सवर्ण मिल कर दर्शन करके चले गये ।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या १४६

श्री श्यामलाल गोयल—क्या स्वायत्त शासन मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे.......

१. क्या राजस्थान में म्युनिसिपेलिटीज, धनाभाव के कारण सार्वजनिक उन्नति के कार्य नहीं कर पा रही है ?

२. क्या सरकार का विचार नगरपालिका के क्षेत्र की जमीन को किराये पर देने या बेचने का अधिकार म्युनिसिपल बोर्ड को देने का है ?

३. अगर हां, तो कब तक ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—१. हां, नहीं कर पा रही है । अधिकतर म्युनिसिपेलिटीज धनाभाव के कारण सार्वजनिक उन्नति के कार्य में असमर्थ है ।

२. राजस्थान टाउन म्युनिसिपेलिटीज एक्ट ,१६५१ की धारा ३६ के अनुसार नगरपालिक अपने क्षेत्र की जमीन किराये पर दे सकती है । बेचने का अधिकार भूतपूर्व राजस्थान की नगरपालिकाओं को तो प्राप्त है ही परन्तु अन्य नगरपालिकाओं को भी यह अधिकार दिये जाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

३. कोई निश्चित समय तो नहीं दिया जा सकता, परन्तु सरकार स्वयम् ही प्रयत्नशील है, जिससे विशेष देर होने की सम्भावना नहीं है ।

श्री श्यामलाल–यह निश्चय कब तक हो जायगा; क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)–मैं इस सम्बन्ध में जवाब पहले ही दे चुका हूं और उसको मैं वापिस दोहरा दूं । इसमें विशेष देर होने की संभावना नहीं है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास–क्या सरकार कोई निश्चित तारीख मुकर्रर कर सकती है ?

श्री रामकरण जोशी–मैं आपको सूचना के लिए बतादूं कि राजस्थान का जो म्यूनिसिपल एक्ट बन रहा है उसमें ये सब अधिकार मिले हुए हैं ।

श्री अध्यक्ष–नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या १५०

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु––क्या पुनर्वास मंत्री महोदय निम्न लिखित प्रश्न का जवाब देने की कृपा करेंगे ।

ऐसे पंजाबी शरणार्थी, जो नियमानुसार अपनी पंजाब में अलॉटमेन्ट करवाई हुई मुसलमानों वाली भूमि कैन्सिल करवा कर गंगानगर जिले में अलाट करवा चुके हैं उनकी भूमि बिला किसी नोटिस के क्यों कैन्सिल की जा रही है ?

श्री अमृतलाल यादव (पुनर्वास मंत्री)––भारत सरकार के आदेशानुसार ऐसे पंजाबी शरणार्थीयों को सूचना दी गई थी कि वे ३०.४.५१ तक पंजाब में प्राप्त भूमि रद्द कराने के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें । जिन व्यक्तियों ने ऐसे प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दिये उन्हें किसी प्रकार के नोटिस नहीं दिये गये और न गंगानगर में जो कृषि योग्य भूमि उन्हें दी गई थी वापिस ही ली गई । केवल उन्हीं व्यक्तियों की भूमि रद्द की गई है जिनके बारे में यह निश्चित रूप से विदित हो चुका था कि वे दोनों स्थानों पर मिली हुई भूमि का लाभ उठा रहे थे ।

भारत सरकार ने गत सप्ताह में यह और आदेश दिया है कि ऐसे पंजाबी शरणार्थी जो अपनी भूमि पंजाब में रद्द करवा चुके हैं किन्तु किन्हीं कारणों से अपने २ प्रमाणपत्र कलेक्टर गंगानगर के समक्ष प्रस्तुत न कर सके हों; यदि वे अब भी ऐसे प्रमाण-पत्र लाकर दे सकेंगे तो उन्हें गंगानगर की भूमि वापिस दे दी जायगी । जिन प्रमाण पत्र का पेश करना अनिवार्य रखा गया है वह हैं वे अहकाम, जिनके द्वारा जमीन पहले पंजाब में अलाट हुई और बाद में कैंसिल हुई । अगर असली हुक्म न हो तो उनकी तसदीक शुदा नकलें मानी जावेंगी । ऐसे व्यक्तियों की सूची कलेक्टर गंगानगर द्वारा तैयार कराई जा रही है ।

श्री गुरुदयाल सिंह सन्धु--बावजूद इसके भी क्या लोगों की जमीनें नहीं छीनी जा रही हैं।

श्री अमृतलाल यादव (पुनर्वास मंत्री) ऐसी सरकार के सामने कोई बात नहीं आई है।

श्री गुरुदयाल सिंह सन्धु--क्या आपके पास दरख्वास्त नहीं आई जिनके साथ सर्टिफिकेट की नकलें भी थीं ?

श्री अमृतलाल यादव--मैंने प्रश्न का पहले ही स्पष्ट उत्तर दे दिया है। ऐसे व्यक्तियों की केटेगरी के लिये गंगानगर एक सूची तैयार कर रहे हैं। भारत सरकार से भी आदेश आ चुके हैं। जो प्रमाण-पत्र पेश कर देंगे तो उनको जमीनें दे दी जाएंगी।

श्री अध्यक्ष--नक्स्ट।

प्रश्न संख्या १५१

श्री रामदयाल उपाध्याय--क्या सहकारी विभागीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे। प्रान्त में सहकारी समितियों को कर्ज देने की सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

श्री अमृतलाल यादव (पुनर्वास मंत्री)--सहकारी समितियों को कर्ज देने के लिये निम्न स्थानों पर सहकारी बैंक स्थापित किये जा चुके हैं--

१. जयपुर डिविजन
- (१) जयपुर।
- (२) सीकर।
- (३) अलवर।
- (४) भरतपुर।

२. बीकानेर डिविजन
- (१) बीकानेर।
- (२) शार्दूलगढ़।
- (३) गंगानगर।

३. जोधपुर डिविजन
- (१) जोधपुर।

४. उदयपुर डिविजन
- (१) बांसवाड़ा।
- (२) उदयपुर।
- (३) भीलवाड़ा।

५. कोटा डिविजन
- (१) कोटा।

प्रान्तीय सहकारी बैंक स्थापित करने के विषय में रिजर्व बैंक ऑफ इन्डिया की सहायता से उप-नियम तैयार किये जा चुके हैं और आशा की जाती है कि यह बैंक शीघ्र ही स्थापित किया जा सकेगा।

जिन क्षेत्रों में कोऑपरेटिव बैंक अभी तक अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सके हैं और न अभी तक पूरी मात्रा में धन राशि ही है वहां गवर्नमेन्ट की गारन्टी पर बैंक ऑफ जयपुर लि० से ४।। परसेन्ट ब्याज पर सहकारी समितियों को रुपया कर्ज दिलाने की व्यवस्था की गई है।

श्री खेतसिंह--क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जोधपुर डिविजन जो इतना बड़ा डिविजन है उसमें एक ही कोऑपरेटिव बैंक क्यों रखा गया है?

श्री अमृतलाल यादव--छोटे-बड़े का सवाल नहीं है। वहां शाखाएं स्थापित करने पर विचार किया जा रहा है।

श्री श्रीदास गोयल--सरकार किसानों में इस बैंक के प्रचार के लिये क्या कर रही है?

श्री अमृतलाल यादव--प्रचार के जितने साधन हमारे पास उपलब्ध हैं उनके हिसाब से प्रचार किया जा रहा है और पब्लिसिटी के लिये दो वान और कुछ कार्यकर्त्ता हैं उनका भी उपयोग किया जा रहा है।

श्री श्रीदास गोयल--ऐसे जिले भी हैं जिनकी आबादी छः लाख नहीं हैं और वहां भी क्या यह बैंक खोला जावेगा?

श्री अमृतलाल यादव (पुनर्वास मंत्री)--यह एक निश्चित योजना के अनुसार खोला जाएगा और जिन जिलों की जन-संख्या कम है तो वहां शाखाएं खोलने पर विचार किया जा रहा है।

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ़)--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार सोच समझ कर कर्जा देगी? क्या डिसमिस्ड कर्मचारी भी इसमें हैं और उनको भी कर्जा मिल जायगा?

श्री अमृतलाल यादव (पुनर्वास मंत्री)--यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ़)--मैं यह पूछ रहा हूं कि डिसमिस्ड कर्मचारियों को भी यह कर्जा मिलेगा और जिस तरह पहले रुपया लेकर चले गये हैं शायद ये भी इसी तरह से लेकर चले जायं?

श्री अमृतलाल यादव (पुनर्वास मंत्री)--ऐसी तो कोई बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष--नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १५२

श्री घासीराम--क्या खाद्य मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

(क) रबी सन् १९५० में पुर सेन्टर फूड ग्रेन प्रोक्योरमेन्ट पर कितना गल्ला वसूल हुआ?

(ख) कितना गल्ला अलवर भेजा गया ?
(ग) बाकी गल्ले में क्या कमी-बेशी हुई ?
(घ) यदि कोई कमी-बेशी हुई तो सरकार ने उसकी क्या जांच करवाई है ?
(ङ) यदि करवाई तो क्या फल निकला ?

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मंत्री)--सैन्टर पुर तहसील तिजारा में रबी १९५० का २९९५ मन ३५ सेर अन्न एकत्रित हुआ । इसमें से २४६४ मन २३ सेर अनाज अलवर भेजा गया । इस प्रकार इस गल्ले में ५३१ मन १२ सेर की कमी रही । सुपरवाइजर अकाउन्ट्स, सुपरवाइजर गोडाउन व एन्फोर्समेन्ट इन्स्पेक्टर अलवर ने इसकी जांच पडताल की । जांच के परिणामस्वरूप नायब तहसीलदार श्री किशन सहाय का वेतन १०८०) रु० रोक दिया गया है और शेष द्रव्य के लिए जांच की जा रही है ।

एक सदस्य--क्या ५३१ मन १३ सेर की वसूली उसकी तनख्वाह से हो जायगी ?

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मंत्री) --तनख्वाह से जो वसूल होगा वह जमा कर लिया जावेगा और बाकी नाज जो बचा रहेगा उसका उससे द्रव्य वसूल किया जायगा । विभागीय तौर से किया जायगा या कानूनी तरीके से किया जावेगा, जैसा भी उपयुक्त होगा; उस तरीके से द्रव्य वसूल किया जावेगा ।

एक सदस्य--क्या तरीका वसूल करने का होगा ? क्या बताया जा सकेगा ?

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मंत्री)—यह तो बताने की आवश्यकता मालूम नहीं होती है । जिस किसी भी तरीके से होगा रुपया वसूल किया जावेगा । यह मैं बता भी चुका हूं कि यह तरीका विभागीय भी हो सकता है और इससे रुपया वसूल नहीं हुआ तो कानूनी तरीके से वसूल किया जा सकेगा ।

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ़)--क्या उन्हें सस्पेन्ड कर दिया गया था ?

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मंत्री)—जी हां ।

एक सदस्य--क्या उन्होंने इस्तीफा दे दिया था ?

श्री भोगीलाल पंड्या—वे अब नौकरी में नहीं रहे हैं ।

प्रश्न संख्या १५३

श्री घासीराम--क्या खाद्य मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(अ) अलवर में जो चना बीज के वास्ते इस साल भेजा गया था उसमें से कितना चना बीज के लिए वितरण किया गया है ?
(ब) बचे हुए चने को किस काम में लाया गया है ?
(स) क्या उसमें से कुछ चना अलवर के किसी व्यापारी को दाल बनाने के लिए दिया गया है ?
(ड) यदि दिया गया है तो कितना और किस व्यापारी को दिया गया है ?
(च) सरकार को दाल बनवाने की क्यों जरूरत पड़ी है ?

श्री भोगीलाल पंड्या (खाद्य मंत्री)-(अ) अलवर में जो चना बीज के लिए भेजा गया था उसमें से ३४६ मन २३ सेर ८ छटांक बीज के काम के लिए दिया गया था।

(ब) क्योंकि चना मौसम पाकर और अनाजों के बनिस्बत जल्दी ही घुल जाता है इसलिए बाकी बचे हुए चने के बीज को घुलने से बचाने के लिए सरकार ने यह उचित समझा कि इसकी दाल बना ली जावे।

(स) हां।

(ड) बाकी बचा हुआ बीज का चना लगभग ६३४६ मन के था और यह दाल बनाने के हेतु श्री जगदीश आइस काटन एन्ड फ्लोर मिल्स अलवर को देना निश्चित किया गया है। जैसा कि प्रश्न (ब) के उत्तर में कहा गया है चना मौसम पाकर घुल जाता है इसलिए उसको घुलने से बचाने के हेतु उसकी दाल बनवाना उचित समझा गया। यह कन्ट्रोल भाव से राशनकार्ड पर स्थानीय जनता को वितरण किया जावेगा।

श्री घासीराम-दाल का क्या करेंगे ?

श्री भोगीलाल पंड्या-चने से जो काम चल सकता है वही काम दाल दे सकती है।

श्री मानसिंह महार (जमुआ रामगढ़)-चने का बेसन बनवाकर क्यों नहीं हलवाइयों को दे दिये गया लड्डू तो लोग खाते।

श्री अध्यक्ष-आर्डर, आर्डर! नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १५४

श्री हरिकृष्ण व्यास-Will the Minister-in-charge for Rehabilitation be pleased to answer :—

(a) Is it a fact that in a meeting of the "Refugee Rehabilitation Board" a resolution was passed under the Chairmanship of the Minister-in-Charge that 20% of the services should be reserved for displaced persons?

(b) Has this resolution been implemented?

(c) If not, what do the Government propose to do about it?

श्री अमृतलाल यादव (पुनर्संस्थापन मंत्री) :-(a) The Refugee Rehabilitation Board in its meeting held on 28th January, 1950, had resolved and recommended to the Government that Displaced Persons may be given, till they are rehabilited twenty percent of posts while making recruitment to Government Services.

(b) Government duly considered the recommendation of the Board. It was felt that reservation of a percentage of posts is not a practicable proposition and that when recruitment is made through the Rajasthan Public Service Commission displaced persons will have to take their chance.

They, however, agreed to treating them in the same way as Rajasthani residents and to the relaxation of age limits in suitable cases. It was emphasised on all concerned in their Memorandum No. F. 10 (16)-G-A/50, dated the 8th April 1950, that when appointments are made by Heads of the Departments etc. to minor posts, they should give sympathetic consideration to displaced persons.

(c) Under the Constitution of India no reservation can be made for displaced persons.

श्री हरिकृष्ण व्यास--When did the Government not accept the recommendation of the Board?

श्री अमृतलाल यादव--The question does not arise.

श्री हरिकृष्ण व्यास--You said just now that the Board recommended to the Government for reservation, but the Government on consideration was not able to accept its recommendations. I am aksing you the date on which the Government found itself unable to accept this recommendation.

श्री अमृतलाल यादव--यह नॉन ऑफीशियल बोर्ड था। उसकी जो बैठक हुई उसकी डेट बताई। गवर्नमेन्ट ने कब तय किया इसकी डेट नहीं मालूम ? समय मिलने पर मालूम करके बताई जा सकती है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--बोर्ड की मीटिंग के कितने दिन बाद यह तय किया गया ?

श्री अमृतलाल यादव--लगभग छः महीने बाद।

श्री हरिकृष्ण व्यास--तो क्या यह समझा जावे कि चुनावों से पहले बोर्ड ने रिज़र्वेशन का सुझाव दिया और चुनावों के बाद में सरकार ने उस सुझाव को नामन्जूर करने का निश्चय किया।

श्री अमृतलाल यादव--बोर्ड की मीटिंग २८ जनवरी, ५० को हुई थी जिस दिन कि यह सुझाव दिया गया था और उस वक्त कोई चुनाव नहीं था और इसके ६ महीने बाद गवर्नमेन्ट ने अपना निर्णय किया जिसे मैंने अभी बताया उस समय भी चुनावों का कोई प्रश्न नहीं था।

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या यह आप निश्चित रूप से कहते हैं कि यह निश्चय चुनावों से पहले हो गया ?

श्री अमृतलाल यादव--यह मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि चुनावों से पहले यह निश्चय हो गया

(सरकारी पक्ष की ओर से "हियर,हियर" की ध्वनियाँ)

राजस्थान अभ्यस्त अपराधी विधेयक, १९५२.

श्री अध्यक्ष-There is only one question left and its reply will be placed on the Table of the House. We come to the Legislative Business.

(विराम)

Clause 3 of the Habitual Offenders Bill

(विराम)

The motion is that clause 3 be taken into consideration.

(विराम)

There are three amendments to this clause ; one by Shri H.K. Vyas and the other two by Shri Bhairon Singh (Danta Ramgárh).

श्री हरिदत्त--May I know, Sir, whether part (b) of clause 2 was read out.

श्री अध्यक्ष--Yes, the whole of the Clause 2 was taken.

श्री हरिदत्त--We discussed only part (*a*), Sir, Amendments were given to part (*a*) only.

श्री अध्यक्ष-When I put the questions it was for the whole Clause 2.

श्री हरिकृष्ण व्यास--In clause 3 of the Bill I have to move the following amendment:—

"In sub-clause (3) delete the part s (*iii*) and (*iv*).

माननीय अध्यक्ष, क्लाज ३ के सब क्लाज (३) में जो ४ पार्ट हैं उनमें पहले (२) का ताल्लुक है जिस मनुष्य का नाम हैबिच्युअल ऑफेन्डर्स की लिस्ट में दर्ज हो जावे उसके उपस्थित होने से तथा उसका नाम दर्ज क्यों नहीं होना चाहिये इस बारे में वह अगर वह कोई रिप्रेजेन्टेशन करना चाहे उससे है ।

लेकिन पार्ट (३) और पार्ट (४) जो हैं उनका ताल्लुक और दूसरी बातों से है । और वह यह है कि यदि ऐसे व्यक्ति को, जिसका नाम जिलाधीश ने हैबिच्युअल आफेन्डर्स की लिस्ट में डाल दिया है और जिसे अब नोटिस मिला है कि आया तुम्हारा नाम ठीक तरह से डाला गया है अथवा गलत नाम इस लिस्ट में नहीं डाल दिया गया है, इस सिलसिले में तुम्हें कुछ कहना है या नहीं ।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

तो ऐसे मौके पर जब तक यह फाइनल फैसला भी नहीं हो पाया कि उसका नाम ठीक तरह से डाला गया है या नहीं वैसे मौके पर इस पार्ट (३) के मुताबिक उसको इस बंधन में डाला जा रहा है कि उसे जो इत्तला पूछी जावेगी रजिस्टर को भरने के लिए वह इत्तला देनी पड़ेगी और साथ ही साथ पार्ट (४) में यह बंधन डाला गया है कि उसे अपने अंगूठे के निशान (फिंगरप्रिन्ट) भी देने पड़ेंगे। मैंने यह तरमीम रक्खी है कि यह दोनों पार्ट हटा दिये जाने चाहिये और इसका पहला कारण यह है कि यह एक सिद्धान्त है कि किसी भी आदमी को इस बात के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है कि वह खुद अपने खिलाफ शहादत दे और उसके आधार पर कि उसका नाम रजिस्टर में एन्टर किया जावे।

लेकिन पार्ट (३) में लिखा है कि जिस आदमी का नाम जिलाधीश ने हैबिच्युअल आफेन्डर्स की सूची में रख दिया अब वह आया और आकर क्या करे कि जो इत्तला मांगी जावे वह इत्तला वह दे, रजिस्टर भरने के लिए जो इत्तला मांगी जावे वह इत्तला दे; अगर नहीं दे तो उसके लिए पनिश्मेन्ट मुकर्रर किया गया है।

अथवा पार्ट ३ को रख कर हम मजबूर करते हैं उसको कि वह अपने खिलाफ डिपोजीशन दें, बयान दे; जिनके आधार पर रजिस्टर को भरा जावे और उसको एक तरह से कनविक्ट किया जावे या यों कहा जावे कि एक प्रकार की सजा दी जावे आगे चल कर।

इसलिए यह पार्ट गलत है और अन्यायपूर्ण भी है। इससे किसी को मजबूर नहीं करना चाहिये कि वह अपने खिलाफ इस प्रकार शहादत देने को बाध्य हो क्योंकि जुरिस्प्रुडेंस का यह सिद्धान्त है, "A man cannot be forced to depose against himself".

और इसी तरह से चौथे पार्ट में कहा गया है कि वह अपने थम्ब इम्प्रेशन दे। यह भी गलत है; इसलिए कि अब तक तो वह व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की लिस्ट में आया है। करार नहीं दिया गया है। अभी रिप्रेजेन्टेशन कर रहा है। मुमकिन है कि जिलाधीश इस निर्णय पर पहुंच जावे कि वह गलत तरीके से इस लिस्ट में आया है और मुमकिन है जिलाधीश इस निर्णय पर नहीं पहुंचे और अपील करने पर सरकार इस नतीजे पर पहुंच जावे कि उसका गलत नाम डाल दिया गया है। इसलिए जब तक यह फाइनल फैसला न कर दिया जावे कि अमुक व्यक्ति समन किया जाना चाहिये या नहीं; तब तक उसको मजबूर करना कि वह अपने फिंगरप्रिन्ट दे, उसकी प्रेस्टिज के खिलाफ है; उसकी इज्जत के खिलाफ है। इस प्रकार की मजबूरी इस स्टेज पर तो नहीं होनी चाहिये जब तक कि जिलाधीश और मजिस्ट्रेट दोनों ने निश्चय नहीं कर लिया हो।

इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरा यह अमेन्डमेन्ट है कि तीसरे क्लाज के तीसरे हिस्से में जो दो भाग, भाग (३) और भाग (४) हैं वे हटा दिये जाने चाहिये और इस संशोधन को मैं हाउस के सामने प्रस्तुत करता हूं।

श्री भैरोंसिंह (दांतारामगढ़)—माननीय अध्यक्ष, इस बिल के क्लाज ३ के सब-क्लाज (१) में मेरा अमेन्डमेन्ट इस प्रकार है :—

[श्री भैरों सिंह (दांतारामगढ़)]

"In clause 3, sub-clause (4) add the following after the word 'registration' occurring in line three :—

and that the names with full descriptions and residential addresses with a statement of crimes alleged against the person so registered are published in the Rajasthan Gazette'."

अध्यक्ष महोदय, इस बिल के इस क्लाज में यह तरीका बतलाया गया है कि एक व्यक्ति को किस प्रकार अभ्यस्त अपराधी करार दिया जायगा, अभ्यस्त अपराधी करार देने में किस प्रकार का तरीका अख्त्यार किया जायगा, उस तरीके में लिखा है कि उस व्यक्ति को अपने वजूहात साबित करने के लिए पूरा अवसर दिया जायगा, माननीय अध्यक्ष, आज इस बात से सब परिचित हैं कि हमारी पुलिस का स्टेंडर्ड बहुत गिरा हुआ है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, जो सेमी एक्जीक्यूटिव (Semi executive) अफसर होता है किसी व्यक्ति को अभ्यस्त अपराधी घोषित करने का अधिकार दिया गया है। इसमें पुलिस वाले किस प्रकार की कार्यवाही करेंगे यह मैं बतला देना चाहता हूं। अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को अभ्यस्त अपराधी घोषित करता है तो उसको नोटिस दिया जाता है। मैं समझता हूं कि ये पुलिस अफसर यह चाहेंगे कि उस व्यक्ति पर नोटिस की तामील न हो। दो तीन दफा नोटिस तामील न करवाने पर वह पुलिस का आदमी कह देगा कि वह व्यक्ति जिसको अभ्यस्त अपराधी करार दिया जाने वाला है वह गैर हाजिर है और गैर हाजिर होने के कारण एक्स पार्टी डिसीजन देकर वह उसे हेबिच्युअल ओफेन्डर करार दिये जाने की कार्यवाही करेगा। इसलिये मैंने यह संशोधन रखा है कि उस व्यक्ति को उस वक्त तक हेबिच्युअल ओफेन्डर करार नहीं दिया जाय जब तक राजस्थान गजट में कोई पब्लिकेशन न हो जाय।

दूसरा संशोधन क्लॉज चार में है। जब कि पहला संशोधन मन्जूर नहीं हुआ है फिर भी यह सोचकर कि दिक्कतें आने वाली हैं उनको मद्दे नजर रखते हुए इस संशोधन पर कुछ कहूं। पब्लिक की सूचना के लिये ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें अभ्यस्त अपराधी करार दिया जाता है और जो जनता की निगाहों में गिर जाने वाले हैं जनता उनके लिये यह समझ लेने की इच्छुक है कि समाज में ऐसे भी तत्व हैं जिनको आजादी मिलने पर समाज को भारी खतरा पहुंच सकता है तो ऐसे व्यक्तियों की जानकारी जनता को हो इसलिये इसकी पब्लिसिटी आवश्यक है। वह राजस्थान राज-पत्र में, आदमियों के नाम, अभ्यस्त अपराधी का पूरा हुलिया, सारा का सारा, प्रकाशित होना चाहिये ताकि जनता को मालूम हो सके कि समाज में ऐसे लोग हैं जिनका यह पेशा है और जिनको हेबिच्युअल ओफेन्डर करार दिया गया है। यह भी जनता को मालूम होगा कि कॉंग्रेसी सरकार के इस चार साल के जमाने में कितने आदमी हेबिच्युअल ओफेन्डर करार दिये गये, कितने पहले थे, कितने बढे; इन सब बातों की जानकारी के लिये यह आवश्यक है कि उन सब लोगों के नाम मय हुलिया सहित राज-पत्र में प्रकाशित करवायें जायें।

दूसरी चीज जो है वह पुलिस अफसरों की कन्विनियेन्स की है। पुलिस अफसर यदि किसी अभ्यस्त अपराधी के विषय में जानकारी करना चाहेगा तो उसे हर एक जिले के हैडक्वार्टर को लिखना होगा; तब कहीं उसकी जानकारी मिल सकेगी। अगर सारी की सारी सूचना अखबारों में प्रकाशित कर दो

[श्री भैरोंसिंह दां. रा.]

जाय तो पुलिस अफसरों को भी आसानी होगी और जनता को भी अभ्यस्त अपराधियों की जानकारी हो जायगी और अभ्यस्त अपराधों को रोकने में जनता का सहयोग भी सरकार प्राप्त कर सकेगी। इसलिये मैंने यह संशोधन रखा है। आशा करता हूं कि सदन इसको स्वीकार करेगा।

श्री हरिदत्त—May I submit, Sir, that there is another amendment from our side to clause 3 ?

(श्री अध्यक्ष द्वारा सचिव से पूछ-ताछ)

This is a technical amendment.

श्री अध्यक्ष—This was received at 2.30 P. M.

(विराम)

I have no objection if the Hon'ble Members will put in all these amendments before the House, but I will allow them only if they are not objected to. Regarding section 3; (2) (1) has gone.

(श्री टीकाराम पालीवाल को सम्बोधित करते हुए)

Have you seen it?

(लम्बी चुप्पी)

श्री हरिदत्त—There is another amendment regarding section 3, sub-section (3), part (*i*), "to appear at a time and place specified therein," These words should go to the main portion of the sub-section, after the words "whose names are entered in the list,". Consequently the remaining sub-parts (*ii*) , (*iii*) and (*iv*) should be re-numbered as (*i*), (*ii*) and (*iii*) respectively.

(विराम)

May I explain, Sir ?

श्री अध्यक्ष—(श्री टीकाराम पालीवाल को सम्बोधित करते हुए)

Have you any objection.

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)—It will not improve. The change will not improve.

श्री हरिदत्त—If a person appears before the District Magistrate at a time and place specified in the order he has to do so only to make representations, to give necessary information or to allow his finger impressions etc. These are the things which he has to do by appearing in person before the District Magistrate. He is not to appear before the District Magistrate just for the sake of appearing in person. So I mean to say that when a list has been prepared by the District

[श्री हरिदत्त]

Magistrate calling upon the persons whose names are entered in the list to appear at a time and place specified in the order,it is with a view to make representations, to give information and to allow finger impression and so on. Otherwise only appearing in person before the District Magistrate would not mean anything. So these words "to appear at a time and place specified therein" should go to the main body, which would read"......calling upon the persons whose names are entered in the list, to appear at a time and place specified therein,—

(*i*) to make representations if they claim...." etc.

श्री टीकाराम पालीवाल—If I accept the amendment suggested by my friend, it would mean that the person will have to appear and make all these representations and give informations in person there. That will put him to more hardship, whereas now the District Magistrate can call upon the person to appear in person to make representations which do not necessarily mean that one should attend in person to give information, and to allow finger impressions to be recorded, *i.e.*, all these things will have to be done in person. I do not, therefore, think that the amendment will improve the section.

श्री हरिदत्त—Naturally one person has to be asked to come in person at a particular place and time only for certain purposes. He cannot be asked for the mere purpose of coming.

श्री टीकाराम पालीवाल—If you add this sentence with the main body, it would mean that he shall have to make representations etc. all in person.

श्री हरिदत्त—But he is to report personally for giving the information etc. in person.

श्री टीकाराम पालीवाल—But he may give information by post. Information can be sent by post. If you take this sentence to the main body that would mean that any representations that he wants to make will have to be made personally by him. He will not be able to send the representation by post or through somebody else.

श्री हरिदत्त—Why should he come ? He can send his information, if required by post. The District Magistrate may ask him to come for the purposes of recording his finger impressions or for some other purpose.

श्री टीकाराम पालीवाल—That may be.

श्री हरिदत्त—These are the purposes behind his coming in person.

Page No.36

श्री टीकाराम पालीवाल—But for all these purposes he need not come in person. However I should not have any serious objection. But I think it will not improve the section.

श्री हरिदत्त—Legal scrutiny will be all right then.

श्री टीकाराम पालीवाल—It has already been examined from that point of view too.

श्री हरिदत्त—क्या श्री व्यास ने जो संशोधन रक्खा है उस पर बोलने का अधिकार रखता हूं ?

श्री अध्यक्ष—I think the Hon'ble Member will speak only when it is necessary and must speak only when it is warranted and not simply for making any speech or elucidating the point. Mr. Vyas.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I think it is necessary.

श्री अध्यक्ष—The point has been made clear by Mr. Vyas. He has only sought deletion of parts (*iii*) and (*iv*).

श्री हरिदत्त—What I want to impress upon the House is that.........

(बाधा)

श्री अध्यक्ष—As a matter of fact your amendment contravend the amendment which Mr. Vyas has put now.

श्री हरिदत्त—No. Sir, My amendment does not at all contravence the amendment of Mr. Vyas. I am simply suggesting that part (*i*) should go to the main body and the other parts should be re-numbered. But renumbering does not mean that I object to Mr. Vyas's amendment.

श्री अध्यक्ष—I do not want to enter in any discussion. All that I could gather from your amendment was this.

श्री टीकाराम पालीवाल (उप मुख्य मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सब क्लाज ६३ के तीसरे और चौथे भाग को बिल्कुल छोड देने का संशोधन रखा है और उन्होंने ज्युरिस्प्रुडेन्स के सिद्धान्त की बात भी की है कि किसी भी आदमी को अपने विरुद्ध गवाह देने के लिये मजबूर नहीं किया जा सकता। मुझे थोडा आश्चर्य हुआ इसलिये कि माननीय सदस्य (श्री हरिकृष्ण व्यास की ओर संकेत करते हुए) स्वयं एक लायर (वकील) हैं। मुझे नहीं मालुम कितना स्टेन्डिंग है but he is a lawyer.

एक सदस्य—He is not a lawyer.

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)--Is he not a lawyer? Then I think there is misunderstanding.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I am not the subject-matter of any controversy.

एक आवाज--That is indispensable.

श्री टीकाराम पालीवाल—मैं उनको समझा दूं कि साक्षी देने में उसको मजबूर करने की कोई बात नहीं, उसको इन्फर्मेशन देने के लिये मजबूर करने की बात है। साक्षी देना दूसरी बात है और इनफर्मेशन देना दूसरी चीज है। इनफर्मेशन देने के लिये मजबूर किया जाता है। ज्युरिस्प्रुडेन्स में कहीं यह नहीं है कि किसी आदमी से इनफर्मेशन नहीं ली जा सकती है, चाहे वह इन्फर्मेशन उसके खिलाफ ही जाती हो।

श्री हरिकृष्ण व्यास—Information which can subsequently be used against him; Can it be given?

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)—That is all right. इसके बिना तो काम नहीं चल सकता है। सारे उसके पर्पज ही डिफीट (विफल) हो जाते हैं। अगर इतना नहीं रखा जाता है तो मैं निवेदन करूंगा कि आपकी बहस से मैं कन्विन्स्ड नहीं हूं और मेरा खयाल है कि सदन भी कन्विन्स्ड नहीं है।

श्री हरिदत्त--सदन में तो इस पर विचार ही नहीं हुआ। हम क्लॉज को कन्सीडर करें; मगर लीगल साइड भी ली जाय। एमेन्डमेन्ट्स को क्लाज के साथ साथ लेना चाहिये। एमेन्डमेन्ट्स को पहले देखा जाय और क्लॉज को बाद में देखें ऐसा कहीं प्रोवाइड नहीं है।

श्री अध्यक्ष—All the amendments will be moved together.

श्री हरिदत्त—क्लॉज पर कोई कन्सीडरेशन किया जाय और कोई सदस्य खड़े होते हैं तो उनका राइट (अधिकार) है कि वे बोलें।

श्री अध्यक्ष—I may explain to you one thing. The report of the Select Committee and the whole section, rather the Bill, has been placed before the House, and now, so far as the Members are concerned, if they want an amendment to a particular clause or a word, or to delete the whole clause, they should put in an amendment. If they want to oppose the whole clause, by way of amendment or anything, they should put in the amendment for the deletion of the clause. Then only they can partake in the discussion. Otherwise coming for a speech and making a speech by way of general discussion is not possible when we consider the Bill clause by clause. That is what I want to impress upon the Hon'ble Members.

श्री भैरूंसिंह—एमेन्डमेन्ट्स का जवाब दिया गया है, उसमें मेरे एमेन्डमेन्ट पर कुछ नहीं कहा गया है।

एक माननीय सदस्य—He has opposed it.

श्री अध्यक्ष—When he does not accept it, it means he opposes it.

श्री टीकाराम पालीवाल—I object to their admission. मुझे एमेन्डमेन्टों पर एतराज है। आज जो एमेन्डमेन्ट हो रहे हैं, मैं उन पर ऐतराज करता हूं। मैंने कल भी इसके लिये कहा था

श्री अध्यक्ष—Well that stage has passed. You have already entered into discussion over some of the amendments put in by Shri Haridutta. They will have to be put to vote, and when subsequently if any amendment comes, then it is your right to oppose it.

(विराम)

So the question is that Amendment No. 20 of Shri H. K. Vyas to clause 3 be accepted.

(अस्वीकृत)

The amendment is lost.

(विराम)

Again the question is that Amendment No. 21 of Shri Bhairon Singh to clause 3 be accepted.

(अस्वीकृत)

The amendment is lost.

(विराम)

The question is that Amendment to Clause 3(3) (*i*) put in by Shri Haridutta be accepted.

(अस्वीकृत)

The amendment is lost.

(विराम)

Now the question is that Clause 3 standpart of the Bill.

(स्वीकृत)

The clause is added to the Bill.

खण्ड ४

Now we come to clause 4.

(विराम)

Motion is that Clause 4 be taken into consideration.

(विराम)

Yes, Mr. Vyas.

Page No.39

श्री हरिकृष्ण व्यास—Before I move my amendment, Sir, I would like to have some clarification. Some amendments have been received which are negative amendments and some members have negatived these amendments. The procedure followed in the House of the People is that amendments are first classed into three categories, negative amendments, substantive amendments and formal or verbal amendments and each one of them is taken separately. My submission is, of course that no such occasion has come in this House so far, but it may arise in future; so the same procedures may be followed here also. I will request that the position may be clarified. It may be better............

श्री अध्यक्ष—It will be done when the necessity comes for that.

श्री हरिकृष्ण व्यास—My amendment is to clause 4. It is very simple one, Sir, and is this—

"In Sub-Clause (*i*), line 2, substitute 'sixty' in place of 'thirty' "

A time limit has been prescribed during which the person affected is eligible to appeal to the State Government. This time-limit is 30 days. I want that it should be extended, because some-times it may not be possible for various reasons to make an appeal within such a short time. Therefore, I want that this time-limit should be extended. This is my amendment and I palce it before the House with the request that it may consider it and agree with it.

(उपाध्यक्ष, श्री लालसिंह शक्तावत, ने ३-३६ पर आसन ग्रहण किया)

श्री हरिदत्त—We are taking all the amendments together?

My amendment to this clause 4 is, Sir, "That the words 'Sessions Judge' be substituted for the words 'State Government' and sub-clause (2) be deleted."

माननीय उपाध्यक्ष, इसमें से सब-क्लाज २ को हटा दिया जाना चाहिये। स्टेट गवर्नमेन्ट से मतलब हुआ Secretary to the Government. एक शख्स जो जैसलमेर या परतापगढ के जिलों में रहता है वहां से वह अपील करने के लिये यहां आए तो उसको कितना खर्चा पड़ता है। यदि वह गरीब आदमी है तो आ भी नहीं सकता और उसे पुलिस के अधिकारियों द्वारा किये गये जुल्मों को चुप चाप बरदाश्त करना पड़ेगा। इसलिये ऐसा प्रबन्ध होना चाहिये कि वह उसी डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के पास अपनी अपील कर सके। इसलिये बजाय "स्टेट गवर्नमेन्ट के सेशन जज" होना चाहिये।

इसके अलावा दूसरी बात में यह कहना चाहता हूं कि जब यह बिल सिलेक्ट कमेटी के पास जाता है तो वहां पर लोग कोई किसी प्रकार की पार्टी फीलिंग ले कर नहीं बैठते और चन्द आदमी ही उसमें बैठते हैं और जब वह सिलेक्ट कमेटी से पास होकर जनरल हाउस के सामने आता है तब दूसरे लोग जो

Page No.40

[श्री हरिदत्त]

यह महसूस करते हैं कि फलाँ बात रह गई है, जिसको सिलेक्ट कमेटी ने नहीं देखा तब लोग एतराज उठाते हैं कि हाउस का समय यों ही बरबाद किया जाता है, जब यह एक्ट सिलेक्ट कमेटी में जा चुका है और उसने इसको पास कर दिया है। मैं कल से ऐसा महसूस करता हूं कि इस एक्ट को एक्ट की भावना से नहीं देखा जा रहा है। मैं यह अर्ज करूंगा कि हमें इस एक्ट को एक्ट की भावना से देखना चाहिये; न कि किसी दलबन्दी की भावना से, जैसा कि हम यहां देख रहे हैं। मैं यह कहूंगा कि यदि "स्टेट गवर्नमेन्ट" शब्द रखे जाते हैं तो लोगों को बहुत कष्ट होगा। इसलिये मैं यह अर्ज करूंगा कि जो भी हमारे कानून बनाये जावें वे कोमन लॉ के सिद्धान्त पर ही बनाने चाहियें। उन्हे स्पेश्यलीटी नहीं दी जानी चाहिये। इस संबन्ध में सेशन्स जज को डिस्ट्रिट मजिस्ट्रेट के हुक्म की अपील सुनने का अधिकार होना चाहिये। He is liable to be punished by the District Magistrate under the sections onwards. मैं मंत्री महोदय से अर्ज करूंगा कि इस पर जरा सुविधा और शांति से विचार किया जाना चाहिये। यहां पर बिल के रूप में हमारे सामने आने का मतलब यह नहीं कि हम जो बातें पब्लिक के हित की रह गई हैं उन पर प्रकाश नहीं डालें, जो सिलेक्ट कमेटी में डाल सकते थे। मान लें कि मैं सिलेक्ट कमेटी में नहीं था इसलिये मुझे तो जनहित की बातों को सरकार के सामने रखने का अधिकार सदन में ही प्राप्त होता है कि जो कुछ भी मैंने इस बिल पर स्टडी किया हो उनको सदन के सामने रख सकूं। यदि उस समय यह कह कर कि यह बिल सिलेक्ट कमेटी में जा चुका है, इन्कार कर दिया जाए तो यह कतई ठीक नहीं होगा। हमें यह भावना अपनानी चाहिये कि हमारे बिल ऐसे हों जिसमें कोई कमी न हो और दूसरे प्रान्त वाले भी देखें कि There is some cogency in the Act, there is rejected for justice. इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि "स्टेट गवर्नमेन्ट" की जगह "सेशन्स जज" कर दिया जाना चाहिये और The State Government shall send for the papers and appoint an officer to hear the appellant and report thereon to the State Government and shall pass such orders on the report as it may deem proper." को रखने की जरुरत नहीं रहती। It will take a lot of time. हम देखते हैं कि स्टेट गवर्नमेन्ट में हमको सवालों के जवाब नहीं मिलते। जब तक वह गरीब यहां अपील करने के लिये आए तब तक उसका नाम भी रजिस्टर में एन्टर कर दिया जा सकता है। फिर जवाब तलब होते रहते हैं; उनके बहुत अर्से तक जवाब नहीं मिलते। अगर कोई शख्स इस केटेगरी में नहीं आया और वह गरीब है और सरकार उसको जबरदस्ती ठूसना चाहे तो ठूस सकेगी। इसलिये मैं यह अर्ज करूंगा कि यह एमेन्डमेन्ट जरूर पास होना चाहिये। इसके साथ साथ ३० दिन के बजाय ६० दिन अपील करने की मयाद को सरकार ने मंजूर कर ही लिया है; इससे लोगों को काफी समय मिलेगा। इसलिये मुझे इससे कोई एतराज नहीं है।

श्री हिम्मतसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, इस सेक्शन में "स्टेट गवर्नमेन्ट" की बजाय "सेशन जज" होना चाहिये। जैसा कि मेरे मित्र डिप्टी लीडर आफ ऑपोजिशन ने कहा है कि बेचारे गरीबों को जयपुर आने में असुविधा होगी और उनको आने जाने में काफी रुपया भी खर्च करना पड़ेगा, इसमें तो कोई संदेह नहीं। आप भी इस चीज को मानेंगे। परन्तु साथ ही साथ इस पर गौर से विचार करने के लिए मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जब उसका नाम हैबिच्युअल ओफेन्डर्स के रजिस्टर में दर्ज हो गया, निगरानी में आ गया, हैबिच्युअल ओफेन्डर बन चुका तो उस बेचारे गरीब को जयपुर आने कौन देगा ?

[श्री हिम्मतसिंह (अटरू)]

दूसरी बात जो खास है, वह यह है कि डेमोक्रेसी में यह प्रिंसिपल है कि गवर्नमेन्ट को हम उतने ही अधिकार दें जिससे गवर्नमेंट ठीक चले । गवर्नमेंट को इतने अधिकार नहीं देने चाहियें कि जिससे गवर्नमेंट जुल्म करने लग जाय । गवर्नमेंट को इतने कम भी अधिकार नहीं देने चाहिये कि गवर्नमेंट चल ही नहीं सके । इसलिए इतने बड़े अधिकार गवर्नमेंट के हाथ में देना ठीक नहीं है । इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

श्री **भैरोंसिंह (दांता रामगढ)**–इस बिल के क्लाज ४ में मेरे अमेंडमेंट इस प्रकार हैं :–

"In clause 4, sub-clause (1)--

1. Delete the words 'to the State Government' falling after the word 'therefrom' in line three and substitute the words 'to the District and Sessions Judge."

2. "Sub-clause 2 be deleted and the following be substituted :—
'The District and Sessions Judge shall send for the papers and pass such orders as he may deem proper. '

अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर विरोधी दल के उपनेता ने और अन्य कई माननीय सदस्यों ने इस प्रकार के संशोधन रखे हैं और-थे । उन्होंने सदन के सामने अपने विचार रखे हैं, फिर भी कई बातों के सम्बन्ध में मैं भी अपने विचार रखना चाहता हूं ।

जिस व्यक्ति को इस कानून के द्वारा हेबिच्युअल ओफेन्डर करार दिया जाय उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के इस कार्य से असंतोष हो तो वह उच्च ऑफिसर के पास आवेदन पत्र दे कर न्याय की मांग कर सकता है । ऐसी अपील सुनने का अधिकार सरकार ने अपने पास रखा है । डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से आगे अपील सुनने वाले होंगे तो वे कमिश्नर्स, होम सेक्रेटरी, आई. जी. पी. या डी. आई. जी. पी. होंगे, जिनको हम प्योर जुडिशियल ऑफिसर नहीं कह सकते, एग्जिक्युटिव ऑफिसर्स या सेमी–जुडिशियल ऑफिसर्स कह सकते हैं। ऐसी सूरत में हम उनसे यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वे सरकार की इच्छा के विरुद्ध निर्णय दें। आजकल राजस्थान का जुडिशियल विभाग कुछ न्याय पर है पर इसके विपरीत सरकार की एग्जिक्युटिव साइड में जनता का विश्वास नहीं है; क्योंकि वे मनमानी करते हैं और उनके कामों के पीछे दलगत भावना भी रहती है । इस सारी चीज को साफ करने के लिए सरकार को चाहिये कि जिस तरफ जनता का ज्यादा बहुमत हो उसे खयाल में रखते हुए यह अपील सुनने का अधिकार जुडिशियल ऑफिसर्स को दे दे जिससे कि दलगत भावना में आकर सरकार को किसी पर अन्याय करने का मौका न मिल सके ।

आज इस दल की सरकार है, हो सकता है कि कल किसी दूसरे दल की सरकार हो; तो ऐसी सूरत में सरकार के हाथों में इतने विशाल अधिकार नहीं देना चाहिये और यह अधिकार जुडिशियल ऑफिसर्स को दे देना चाहिये । मुझे इस बात को देख कर बड़ी उलझन और ताज्जुब होता है कि हर अधिकार को सरकार अपने हाथों में क्यों रखती है ! आखिर जुडिशियल ऑफिसर्स भी सरकार के ही हैं क्या सरकार को उन पर भरोसा नहीं है ? इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार को खुल्लम

[श्री भैरोंसिंह (दां. रा.)]

खुल्ला कह देना चाहिये कि यह सारे अधिकार जुडिशियरी के पास होंगे । समझ में नहीं आता कि सरकार आखिर यह सारे अधिकार एग्जिक्युटिव के हाथ में क्यों दे रही है ? यह अधिकार तो जुडिशियल के हाथ में होने चाहियें जिससे कि हरएक व्यक्ति रिप्रेजेंटेशन के द्वारा जुडिशियल ऑफिसर्स के पास न्याय की मांग कर सके, न्याय हासिल कर सके । यदि सरकार एग्जिक्युटिव ऑफिसर्स को यह सारे अधिकार देना चाहती है तो इसका मतलब साफ है कि सरकार उनके द्वारा कोई अवैधानिक कार्य करवाने पर तुली है । यही कारण है कि जनता जिन जुडिशियल ऑफिसर्स से न्याय की आशा रखती है उनके हाथ म यह अधिकार न देकर एग्जिक्युटिव ओफिसर्स, जिनसे जनता को न्याय के बजाय अन्याय की उम्मीद है, उनके हाथों में यह सारे अधिकार दे रही है ।

अतः में यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिन मंत्री महोदय ने यह बिल रखा है वे जनता की भावना को देखें और जनता जिससे न्याय की आशा करती है उन्हीं के साथ में यह अधिकार दें । इसी में राजस्थान सरकार का और राजस्थान की जनता का भला है; ताकि आने वाली पीढियां भी कहेंगी कि सरकार ऐसे अच्छे कानून बनाती थी कि जिसमें, अन्याय होने की सूरत में अन्याय के विरुद्ध जुडिशियरी में अपील करने की भी गुन्जाइश रखती थी ।

अंत में मैं जिन मंत्री महोदय ने यह बिल रखा है उनसे निवेदन करूंगा कि वे इन बातों पर गौर से विचार करें ।

श्री उपाध्यक्ष–श्री हिम्मतसिंह ।

श्री हिम्मतसिंह–जब पहला संशोधन हो जाता है तो दूसरा संशोधन आप ही बेकार हो जाता है । अतः उसकी कोई जरूरत नहीं है ।

श्री गोपीलाल यादव–ये जो दो संशोधन इसमें रखे गये हैं; एक तो "तीस" दिन के बजाय "६०" दिन कर दिये जाने का और दूसरा "स्टेट गवर्नमेन्ट" के बजाय "सेशनन्स कोर्ट" रख दिया जाने का; ये दोनों ही संशोधन इतने महत्वपूर्ण हैं कि मैं यह समझता हूं..........

श्री टीकाराम पालीवाल–यह ज्यादा लम्बा न हो इसलिए मैं सूचना देता हूं कि ३० दिन के बजाय ६० दिन को मैं मंजूर करता हूं ।

श्री गोपीलाल यादव–दूसरा संशोधन है स्टेट गवर्नमेन्ट के बजाय सेशन्स कोर्ट रखने का । मैं गवर्नमेन्ट से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वे चाहे ६० दिन को स्वीकार नहीं करते, लेकिन इसको अवश्य स्वीकार करें; क्योंकि आज के प्रजातन्त्र के युग में डेमोक्रेसी की यह नीति है और गवर्नमेन्ट खुद जो कह रही है वह यह है कि किसी भी जुडिशियल टाइप के मैटर का फैसला गवर्नमेन्ट के पास नहीं रहना चाहिये और अब तक जो ऐसे मामले गवर्नमेन्ट के पास थे उन्हें हटा कर कोर्टस को दिये जा रहे हैं । ऐसी सूरत में गवर्नमेन्ट के पास किसी फैसले का रहना, जिसका कि जनता के अधिकारों से सम्बन्ध है किसी भी प्रकार मुनासिब नहीं है । इस पर अधिक व्याख्यान देने की आवश्यकता नहीं है । मेरे मित्र ने एक दलील जो दी, वह ठीक है कि एक सेक्रेटरी अकेला सारे राजस्थान के मुकद्दमों का फैसला करे;

Page No.43

[श्री गोपीलाल यादव]

यह संभव नहीं है । फिर उनकी मल्टीफेरियस ड्यूटीज (Multifarious duties) होती है, खर्चा भी इसमें ज्यादा पडता है । मामला सिर्फ इतना सा है कि फलां आदमी का नाम रजिस्टर में लिखा जाय या नहीं । जिसने तीन दफा गलती की है उसका नाम लिखा ही जायगा; जब कि पुलिस के एस. पी. या कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट और सेशन्स कोर्ट के सामने यह कहते हैं कि उसका तीन बार कन्विक्शन हो चुका है तो रजिस्टर में नाम लिखने में अड़चन नहीं आयगी । फिर कोर्ट में वकील भी पैरवी करने के लिए आयेंगे ही । यह कोई लम्बा चौड़ा मामला नहीं है । ऐसी सूरत में कोर्ट के पास यह काम रखने में हर्ज ही क्या है । इसलिए मैं अपील करूंगा कि इसे अवश्य स्वीकार करें ।

श्री टीकाराम पालीवाल–मैं.........

एक सदस्य—सेशन्स कोर्ट की बात पर मैं बोलना चाहता हूं ।

श्री टीकाराम पालीवाल-पहले मैं खुलासा कर दूं ।

श्री कानसिंह—क्या आपके बाद मुझे बोलने का मौका मिलेगा ?

श्री टीकाराम पालीवाल—आप सुनिये तो सही ।

मुझे ऐसा लगता है कि सदन के कई माननीय सदस्यों में कुछ गलतफहमी हो गई है । इस कानून के उद्देश्य की बहस में सुनने में आता है कि किसी भी भले आदमी का नाम रजिस्टर में लिख दिया जायगा । यह बात अजीब सी लगती है । ऐसा मालूम होता है कि माननीय सदस्य यह समझ रहे हैं कि यह भले आदमियों को फांसने का काम हो रहा है । मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि यह केवल हेबिच्युअल ओफेन्डर्स के लिये है । जिस जुडिशियरी की आप तारीफ कर रहे हैं उसके लिये धन्यवाद है । जिन लोगों को जुडिशियरी के द्वारा कन्विक्ट किया जायगा उन्हीं का तो नाम इसमें लिखा जायगा । इसलिए भले आदमियों के इसकी पकड़ में आने की कोई आशंका नहीं रह जाती । फिर क्या बात है कि भले आदमियों को डरना पड़े । वह चीज मुझे ठीक लगी कि जहां किसी आदमी का नाम रजिस्टर में लिख लिया गया है उसके अपील करने की कंडीशन्स निकलने के बाद किसी तहकीकात की जरूरत नहीं रह जाती है । फाइनल जजमेन्ट आफ कम्पीटेन्ट कोर्ट के आने के बाद कोई जरूरत तहकीकात की नहीं रह जाती और आफ्टर ड्यू प्रिलिमिनरीज नाम दर्ज कर लिया जाता है और इसके बावजूद भी कोई अपील करना चाहे तो उसके लिए ३० दिन रखे गये थे; पर आप ६० दिन चाहते हैं मैं इसको मंजूर कर लेता हूं लेकिन "an appeal should be to a district Magistrate" में समझता हूं कि इन विचारों को ठीक नहीं समझा जा रहा है । जुडिशियरी के लिए यह एक्ट नहीं है । यह एडमिनिस्ट्रेटिव पोइंट है; जो गवर्नमेन्ट को एडमिनिस्ट्रेटिव पोवर देता है और यह उनके लिए है जिनका कन्विक्शन जुडीशियर द्वारा दो बार..........

एक माननीय सदस्य-तीन बार

श्री टीकाराम पालीवाल—(जारी रखते हुए) उनके दुबारा एडजुडिकेशन का सवाल नहीं रह जाता । गवर्नमेन्ट को एडमिनिस्ट्रेटिव पोवर देने की बात है, न कि गवर्नमेन्ट को कन्विक्शन के पावर

[श्री टीकाराम पालीवाल]

देने की बात । इसलिए सेशन्स जज को यह काम सुपुर्द करना गलत होगा। उनके पास पहले ही जुडिशियल नेचर का काम बहुत है । फिर मैं इस बात को भी मानता हूं कि आपने जडिशियरी पर कृपा की है । आप कहते हैं कि जुडिशियरी पर कुछ कुछ विश्वास होता जा रहा है । आपकी यह लेंग्वेज ओब्जेक्शनेबल है । इस हाउस में भाषण देने की प्रीविलेज है; लेकिन उसका यहां दुरुपयोग नहीं होना चाहिये। इस प्रकार के रिमार्क्स यहां किये जायं जिसका रिफ्लेक्शन जुडिशियरी पर हो; यह गलत तरीके की चीज है । गवर्नमेन्ट और उसके एग्जीक्युटिव अफसरों पर से तो अधिकांश जनता का विश्वास उठता जा रहा है ; यह आप कहते है । जब तक अधिकांश जनता का विश्वास प्राप्त है तभी तक यह गवर्नमेन्ट है और जब कि यह गवर्नमेन्ट है तो उसको अधिकांश जनता का विश्वास प्राप्त है ही और जो अफसर गवर्नमेन्ट की आज्ञा पालन करते हुए काम कर रहे हैं उनके प्रति अधिकांश जनता का विश्वास स्वतः ही हो गया । जुडिशियरी पर इस तरह की बात करना उचित नहीं है और न उससे उनकी कार्य कुशलता ही बढ़ेगी । इस मामले में गवर्नमेन्ट को अपील सुनने के जो पावर रखे गये हैं वे बिल्कुल ठीक हैं । यह भी कहा गया है कि सेक्रेटरीज के पास काम बहुत है; वे पूरी तरह से सुनवाई नहीं कर सकेंगे । गवर्नमेन्ट को पावर है कि वह अच्छे कार्य-कुशल, सूटेबिल अफसर रखे । गवर्नमेन्ट इस बात को देखेगी और इस काम के लिए जुडिशियरी से वकफियत रखने वाले और उपयुक्त अफसर रखेगी । इसलिए निवेदन है कि इन सारी चीजों को माननीय सदस्य प्रेक्टिकल व्यू से देखें ।

एक साहब ने कहा कि आज की गवर्नमेन्ट इस दल की है, कल दूसरे दल की हो सकती है । जिस तरह का अपोजिशन का कार्य हो रहा है उससे यह मालूम पडता है कि वे कभी आशा नहीं करते हैं कि उनके हाथ में कभी गवर्नमेन्ट आयगी भी, क्योंकि जो चीज गवर्नमेन्ट चलाने की है उसमें रोड़े अटकाये जाते हैं; इसलिए मालुम होता है कि उनको आशा नहीं है कि उनके हाथ में गवर्नमेन्ट आयगी। कोन्स्टीट्यूशनली उधर की भी गवर्नमेन्ट हो सकती है । लेकिन गवर्नमेन्ट चलाने वालों का रुख अपनी जिम्मेदारी समझने का होना चाहिये । किन्तु उनका जो रवैया हो रहा है उससे ऐसा लगता है कि मानो ओफेन्डर्स जैसे लोग हमारे समाज में हैं ही नहीं । मैं चाहता हूँ कि ओफेन्डर्स हमारे समाज में न रहें; लेकिन जो कठोर सत्य है उसको भुलाया नहीं जा सकता खास तौर से जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं वे इसको नहीं भुला सकते । समाज में ऐसे तत्व हैं जिनके लिए कानून बनाने की जरूरत पड़ती है ।

समाज में कुछ ऐसे तत्व भी हैं जिनको ठीक रास्ते पर रखने की जरूरत पड़ती है । वही दृष्टिकोण इस समय बताया जा रहा है । हमारे दोस्त सोचते होंगे कि गवर्नमेंट बनाने में तो काफी समय लगेगा और अगर गवर्नमेंट बनाने का मौका आ भी गया तो वे बना भी सकेंगे या नहीं । मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि उनका यह दृष्टिकोण अच्छा नहीं है । यदि आप गवर्नमेंट नहीं बना सकते हैं तो जो मैजोरिटी की गवर्नमेंट है उसकी तो आप को मदद करना चाहिये । यदि आप मदद भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उसके रास्ते में तो रोड़े न अटकायें ।

श्री गोपीलाल यादव—On a point of order, Sir

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, पोइन्ट ऑफ ऑर्डर का क्वेश्चन ही पैदा नहीं होता । I think I have finished

Page No.45

श्री गोपीलाल यादव—पोइन्ट ऑफ ऑर्डर का क्वेश्चन जरूर पैदा होता है।

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी इस विषय पर रूलिंग चाहता हूं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल में जो अपील का क्लॉज रखा गया है उसमें यह रखा गया है कि अपील स्टेट गवर्नमेंट के पास की जा सकेगी। यह चीज इन्डिया के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है और यह फन्डामेन्टल राइट्सके भी खिलाफ है। किसी गवर्नमेन्ट के पास जुडिशियल मामलों की किसी एक्ट के मातहत अपील नहीं होनी चाहिये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक ऐसा मामला है.....................

श्री टीकाराम पालीवाल—Mr. Speaker, Sir, this is no point of order. My friend has not quoted any Article of Constitution to which this violates. Which is the particular Article of the Conutitation which is violated ?

श्री गोपीलाल यादव—मुझे निवेदन कर देने का मौका दिया जाय।

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)—खाली कह देने से ही पोइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं बन जाता है।

श्री गोपीलाल यादव—मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पहले इस सेक्शन को मान लिया गया है। मैं आपके सामने इसको रखना चाहता हूं। अगर आप नहीं मानेंगे, अगर हाउस नहीं मानेगा तो हम हाईकोर्ट में, यहां तक कि सुप्रीमकोर्ट में इस मसले को ले जावेंगे।

श्री टीकाराम पालीवाल—चाहे कहीं ले जाया जाय; किन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि किस सेक्शन के अन्तर्गत यह चीज रखी जा रही है? मैं निश्चित सेक्शन जानना चाहता हूं।

श्री गोपीलाल यादव—मेरे मित्र को मालूम नहीं है, मुझे उसको पढ़ना पड़ेगा।

श्री जसवन्तसिंह—मैं यह अर्ज करूंगा कि पोइन्ट ओफ ओर्डर के लिए अध्यक्षजी ही तय करेंगे, उप मुख्य मंत्रीजी नहीं।

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)—मुख्य मंत्रीजी तो वहां बैठे हैं।

श्री जसवन्तसिंह—मैंने मुख्य मंत्रीजी ही कहा था। शायद आपको ही मुख्य मंत्री बना दिया जाय।

(हंसी)

श्री टीकाराम पालीवाल—I can make a submission that what my friend has stated is not correct.

श्री जसवन्तसिंह—On a point of order, Sir, but the Speaker is there to decide, when he is on the command of the floor. It is a right point of order, Sir.

श्री टीकाराम पालीवाल—Has the other member got right to say whether point of order raised by a particular Member is a correct point of order ?

श्री उपाध्यक्ष—मिस्टर यादव ।

श्री गोपीलाल यादव—अध्यक्ष महोदय, हमारे फन्डामेन्टल राइट्स में सेक्शन ६ "राइट टू फ्रीडम" है । अगर उसके तहत किसी व्यक्ति का नाम रजिस्टर के अन्दर दर्ज कर लिया जाता है, अगर उसी बेसिस पर आगे चल कर उसकी स्वतन्त्रता का हरण हो सकता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पर रखा जाता है, उसको अपने घर से अलग किया जाता है; चूंकि उसका नाम रजिस्टर में दर्ज हो चुका है तो यह गलत है कोन्स्टियुशन से जो राइट्स दिये गये है उनको हम छीनना चाहते है और हमें लालच दिया जाता रहा है कि गवर्नमेन्ट में आओ और इससे फायदा उठाओ।

(विपक्ष की ओर से हँसी)

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)—आप लोग कभी कभी ऐसा सोचते मालूम पड़ते हैं।

श्री गोपीलाल यादव—मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे मित्र यह समझ बैठे हैं कि हमारा गवर्नमेन्ट पर अविश्वास है। यह जुरिस्प्रुडेन्स का सिद्धान्त है कि जो गवर्नमेन्ट मेजोरिटी पर बेस्ड होगी तो दूसरों को अविश्वास हो सकता है और इस सिद्धान्त के अनुसार गवर्नमेन्ट न्याय का काम हाथ में नहीं ले सकती है अगर वह नहीं लेने की कोशिश करेगी तो उसको रेजिस्ट किया जावेगा, कोन्स्टिट्यूशन से किया जावेगा और हाउस में किया जावेगा। गवर्नमेन्ट फन्डामेन्टल राइट्स को नहीं छीन सकती है (विपक्ष की ओर से करतल ध्वनि) मैं अध्यक्षजी से निवेदन करूंगा कि फन्डामेन्टल राइट्स पर जो आपत्ति हुई है उस पर वे अपना रूलिंग दें । एक पार्टी की गवर्नमेन्ट है और उसको अधिकार नहीं है कि फन्डामेन्टल राइट्स मनुष्य मात्र के छीने । गवर्नमेन्ट यह कर सकती है कि इन अपील्स को सुनने के लिये एक स्पेशल कोर्ट अपोइन्ट करे; लेकिन गवर्नमेन्ट को कोर्ट के अधिकार को छीनने का अधिकार नहीं है ।

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके द्वारा, मेरे लायक दोस्त से निवेदन किया था कि वे पोइन्ट ओफ ओर्डर को ठीक तरह से पेश करें । He has not stated it precisely, but he is generally quoting Articles of the Constitution. Article 19 refers and I should say perhaps he thinks that clause (1)(*d*) of Article 19 is the relevant clause to move freely throughout the territory of India.

"Nothing in sub-clause (*a*) of Clause (1) shall affect the operation of any existing law, or prevent the State from making any law, in so far as such law imposes reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said sub-clause in the interests of the security of the State, friendly relations with foreign States, public order, decency or morality, or in relation to contempt of court, defamation or incitement to an offence."

Page No.47

[श्री टीकाराम पालीवाल]

Nothing in sub-clause (d). (e) and (f) of the said clause shall affect the operation of any existing law in so far as it imposes, or prevent the State from making any law imposing, reasonable restrictions on the exercise of any of the rights conferred by the said sub-clauses either in the interests of the general public or for the protection of the interests of any Scheduled Tribe."

So the Constitution itself allows the State Government to put reasonable restrictions by Laws. As such there is no point of order.

श्री गोपीलाल यादव—मैं इसी सम्बन्ध में एक और चीज पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वह है फन्डामेन्टल राइट्स के सम्बन्ध में आर्टीकल १३ का भाग (२) कहता है:-

"The State shall not make any law which takes away or abridges the rights conferred by this Part and any law made in contravention, of this clause shall, to the extent of the contravention be void."

तो अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि इस हिसाब से भी यह इन राइट्स के खिलाफ पड़ता है जो कि मैन्डेटरी प्रोविजन है। आपको रूलिंग देना है कि क्या आपको ऐसा कानून बनने देना है। कल टिनेन्सी एक्ट भी आने वाला है और उसमें भी इस तरह के सवालात पैदा होंगे। वे अपील स्टेट गवर्नमेन्ट को लाया करेंगी या कांग्रेस गवर्नमेन्ट को लाया करेंगी। (विपक्ष की ओर से करतल ध्वनि) फिर इस विषय को साफ करने के लिये एक अलग दिन मुकरर किया जाय और फिर आप अपना रूलिंग दें।

श्री श्रीदास गोयल—मैं निवेदन करूंगा कि काफी बहस इस पर कर ली गई है और समय को काफी कीमती महसूस करते हुए मैं सदन से निवेदन करूंगा कि इस पर अब क्लोजर मूव करने की आज्ञा प्रदान की जावे।

श्री हरिदत्त—Mr. Deputy Speaker, Sir, here the question of fundamental rights arises.

श्री उपाध्यक्ष—The question of fundamental rights does not arise. The State Government can impose reasonable restrictions according to the needs. So the point of order I have cleared and I think........

श्री गोपीलाल यादव—माननीय उपाध्यक्ष, On a point of order, Sir, आपकी रूलिंग शिरोधार्य है; पर मैं आपसे इस पर रिव्यू करने की अपील करना चाहता हूं क्योंकि...............

श्री टीकाराम पालीवाल—This is constitutionally wrong, Sir. शिरोधार्य भी कर लिया जावे और..............................

Page No.48

श्री गोपीलाल यादव—एक मिनिट सुनिये । मुझे अर्ज यह करना है कि रेस्ट्रिक्शन का जहां तक प्रश्न है रेस्ट्रिक्शन पर मुझे एतराज नहीं है । पर ऐतराज इस चीज पर है कि क्या कोर्ट में जाने के हमारे अधिकार को गवर्नमेन्ट ले सकती है ?

श्री श्रीदास गोयल—ऑन ए पाइन्ट आफ ऑर्डर, सर ...

श्री उपाध्यक्ष—(घंटी बजाई) Now we take the amendment to clause 4.

एक सदस्य—मैंने पहले ही अर्ज कर दिया था..........

श्री उपाध्यक्ष—No, no

(विराम)

The first amendment of Mr. Vyas has been accepted and so now it forms part of the clause as added by the mover. Now second is by Mr. Bhairon Singh :—

"Delete the words 'to the State Government' falling after the word 'therefrom' in line three and substitute the words 'to the District & Sessions Judge."

(विराम)

Now the question is, "that this amendment be accepted".

विरोधी पक्ष—हां ।

श्री उपाध्यक्ष—जो पक्ष में न हों वे ना कहें ।

सरकारी पक्ष—ना ।

एक आवाज—वेरी फीबल ।

श्री उपाध्यक्ष—"ना" पक्ष जीता ।

श्री गोपीलाल यादव—No, Sir, we want counting.

श्री उपाध्यक्ष—ना पक्ष जीता । यह अमेन्डमेन्ट अस्वीकार किया जाता है ।

श्री गोपीलाल यादव—No, Sir, we want Division. This decision is not acceptable to us. We hold that the Ayes have won.

श्री उपाध्यक्ष—मिस्टर यादव चाहते हैं कि इस पर डिविजन हो ?

श्री गोपीलाल यादव—Yes, Sir.

Page No.49

श्री टीकाराम पालीवाल--After the Speaker has announced. This is an after thought. After announcement it is unauthorised.

श्री गोपीलाल यादव--It is our right to challenge.

श्री उपाध्यक्ष--Let us have counting then.

श्री टीकाराम पालीवाल--No, Sir........

श्री उपाध्यक्ष--This is a shorter course. Members may stand in their seats and we shall count immediately.

श्री मथुरादास माथुर--On a point of order, Sir, if the Honourable members claim the division then there should be a division. Simply standing is not a proper course.

श्री उपाध्यक्ष--I allow the Division.

(विभाजन हुआ)

श्री उपाध्यक्ष--संशोधन के पक्ष में ५२ मत और विरोध में ७५ (हर्षध्वनि)। इसलिए "ना" पक्ष जीता। संशोधन अस्वीकृत हुआ।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

अब श्री हिम्मतसिंह अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)--This was exactly the same taken now.

श्री उपाध्यक्ष--दोनों का सेन्स करीब करीब मिलता है, आगे वर्डिंग्स डिफरेन्ट हैं। 'सेशन्स कोर्ट' या "सेशन्स जज" दोनों का मिशन करीब एक ही है।

(विराम)

श्री हिम्मतसिंह के दूसरे संशोधन के पक्ष में जो हों........

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)--किस पक्ष में? यह जो संशोधन श्री हिम्मतसिंह ने प्रस्तुत किया है?

श्री गोपीलाल यादव--They are the same.

श्री उपाध्यक्ष--हैं तो सेम लेकिन वर्डिंग्ज में कुछ चेंज है

श्री हिम्मतसिंह--अमेण्डमेण्ट में--"In line 3, clause 4 sub-clause (1), the words 'State Government' be substituted by the words 'District & Sessions Judge'."

(विराम)

[श्री हिम्मतसिंह]

एक और है।

"Sub-clause 2 be deleted and"

श्री गोपीलाल यादव—वह एक ही है।

श्री उपाध्यक्ष—यह एक ही मतलब के कई संशोधन हैं।

(विराम)

चूंकि यह इसके पहले वाले संशोधन के समान ही है अतः इसे लेने की आवश्यकता नहीं।

(विराम)

श्री एच. के. व्यास का संशोधन निम्नलिखित है 'In sub-clause (2) line 2 delete the word 'officer' and insert in its place the following :—

"Judge not below the rank of a District and Sessions Judge".

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं प्रस्तुत कर दूं फिर.......

श्री उपाध्यक्ष—प्रस्तुत करें।

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)—प्रस्तुत पहले ही हो चुका है। वह बोला गया था। वह नहीं थे।

श्री उपाध्यक्ष—यह बोला गया था, you were absent.

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह दूसरा है।

श्री उपाध्यक्ष—श्री व्यास का यह संशोधन है उसके लिए अनुमति दी गई थी, लेकिन वह उपस्थित नहीं थे इसलिए प्रस्तुत नहीं हो सका, और जो मूव नहीं हुआ वह ड्राप हो गया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—ऐसा तो कहीं नहीं होता प्रस्तुत करने के सिलसिले में।

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)—बहुत दिनों से है। सब-क्लॉज एक पर बहस हो चुकी है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—सब-क्लॉज एक पर मेरे एमेन्डमेन्ट थे। सब क्लाज (१) पर एमेन्डमेन्ट प्रस्तुत हो जाने के बाद सब-क्लॉज (२) की बारी आती है; मगर उदाहरणार्थ सब क्लॉज (२) का काल भी हो गया तो उसको प्रस्तुत नहीं करने का जिम्मा मेरे पर तो नहीं आता। पहले सब-क्लॉज (१) पर एमेन्डमेन्ट्स पूरे हो गये हों तो आप दूसरे पर आ सकते हैं। वह पूरे हुए ही नहीं। अभी श्री हिम्मतसिंह के सब-क्लॉज (१) पर एमेन्डमेन्ट..............

श्री उपाध्यक्ष—सब-क्लॉज (१) पहले प्रस्तुत हो गया। सब-क्लॉज (२) भी प्रस्तुत हो गया; उसके लिए आपको आवाज दी गई थी।

Page No.51

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)—यह मुझे भी स्मरण है । उसके लिए आपको आवाज दी थी । यह प्रस्तुत नहीं हुए थे ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—फिर इजाजत देंगे क्या ?

श्री उपाध्यक्ष—हां, प्रस्तुत कर सकते हैं। (हंसी)

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)—Once an amendment has been dropped, it cannot be taken again. How can it be ?

श्री कानसिंह—On a point of order, Sir......

श्री उपाध्यक्ष—Order, Order.

श्री हरिकृष्ण व्यास—The Chair has given the permission to move an amendment in the House. Unless..........

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)—I heard the Chair, Sir, that since you were not present when you were called, it cannot be taken.

श्री हरिकृष्ण व्यास—And I have heard the Chair say that it was permitted.

श्री जसवन्तसिंह—The Chair is here to say what it means.

श्री हरिकृष्ण व्यास—सब-क्लॉज (२) में दूसरी लाइन के अन्त में दो एमेन्डमेन्ट्स हैं । पहले जिस एमेन्डमेन्ट पर चर्चा हो चुकी है उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है । मगर यह दूसरा एमेन्डमेन्ट पहले से भी ज्यादा महत्व का है; इसलिये इसको आपके सामने प्रस्तुत करता हूं और वह इस प्रकार है : पहले एमेन्डमेन्ट में जिस स्थान पर "Officers" का शब्द आया है उसकी एवज में " "Judge not below the rank of a District and Sessions Judge" डाल दिये जावें और सब-क्लॉज (२) के अन्त में यह जोड़ दिया जावे "Provided that the State Government shall not pass any order contrary to the recommendation or finding of the Judge so appointed." इस एमेन्डमेन्ट की मंशा यह है कि फैसला करने का काम सरकार के हाथ में ही रखा गया है; लेकिन सरकार के अधिकार पर थोड़ा सा बन्धन डाला गया है। इस एमेन्डमेन्ट की दो ही मंशाएं हैं एक तो यह कि किसी ऑफिसर को मुकर्रर करने के बजाय डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेशन्स जज के रैंक...............

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—On a point of information, Sir. What is the Chair's ruling about this amendment. Is it deemed to have been dropped or is it allowed to be moved ?

[श्री जयनारायण व्यास]

I submit that unless a decision has been given, Sir, the Hon'ble Member should not proceed.

श्री उपाध्यक्ष—Order !

श्री हरिकृष्ण व्यास—Mr. Deputy Speaker, Sir. Is it the..........

श्री उपाध्यक्ष—Order !

(विराम)

Under rule 85—"Except as otherwise provided in these rules a motion or amendment which requires notice may be moved only by the member giving notice. If a motion or amendment is not moved it shall be deemed to have been withdrawn".

So the member was called and he was absent and so it was not moved and on this consideration I think he cannot move it; however, for this I would like the Leader of the House to explain his view.

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—Your views are quiet clear, Sir. The rule is quite clear and the amendment is deemed to have been withdrawn.

श्री टीकाराम पालीवाल—The Chair has taken a very correct view.

श्री उपाध्यक्ष—Order !

श्री हरिकृष्ण व्यास—I want to make a submission.

श्री उपाध्यक्ष—Now you cannot move it.

एक सदस्य—No submission shall be allowed, Sir.

श्री उपाध्यक्ष—ऑर्डर, ऑर्डर । चूंकि सभी संशोधनों पर विचार किया जा चुका है........

श्री हरिदत्त—श्री उपाध्यक्ष, एमेन्डमेन्टों पर वाद-विवाद होने का मतलब हम यह नहीं कह सकते कि मूल क्लॉज पर भी डिस्कशन हो चुका है। इसलिये इसमें जो एक खास पोइन्ट है: "The State Government shall send for the papers and appoint an officer"; इसका क्या significance है ? इस संबन्ध में मैं यह सरकार से दर्याफ्त करना चाहता हूं कि क्या कोई व्यक्ति सरकार के पास अपील करेगा उस समय किसी ओफिसर की नियुक्ति होगी या in each and every case a new officer shall be appointed. That needs clarification. इसका स्पष्टिकरण होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—अब क्लॉज नम्बर ४ सदन के सामने विचारार्थ प्रस्तुत है।

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)—I take it, Sir, there is no much to discuss and the clause as amended is very clear to the Hon'ble members. So there is no need for discussion. Therefore I request the Chair,........

श्री मानसिंह—ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर। यह तो क्लॉज का डिस्कशन है। पहले तो एमेन्डमेन्ट पर बहस हुई थी। इस पर तो अभी तक हमें व बहुत से साथियों को बोलना ही है। इसलिये हम इस पर आपसे रूलिंग चाहते हैं।

श्री बी. एन. जोशी—This is no point of Order, Sir.

श्री हरिकृष्ण व्यास—(बोलने को खड़े हुए)

श्री गोपीलाल यादव—आपसे पहले मैं खड़ा हूं।

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)—Mr. Speaker, Sir. I will submit, with your permission Sir, that while discussing the various amendments to the clause, the clause itself has been discussed thread bare. It is no use going to the same and same amendments. I request that the clause be put to vote. It is no use wasting time.

श्री हरिदत्त—Many a times we have heard that we are wasting time and the time of the House. मेरी समझ में नहीं आता कि जब हम अपने सजेशन्स सरकार को देते हैं उस समय सरकार की तरफ से यह कहा जाता है कि हमारा और सदन का कीमती वक्त यों हीं बरबाद किया जाता है; यह कैसे कहा जाता है? यह हमारा हक है कि हम जनता के हित की बात यहां पर करें। फिर यही बात कि हमारा और सदन का वक्त बरबाद हो रहा है क्यों कहा जाता है?

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)—"मेरा" नहीं, "सदन" का समय कहा था।

श्री गोपीलाल यादव—श्रीमान् उपाध्यक्ष, श्रीमान्जी ने इस क्लॉज को सदन के सामने विचारार्थ रखा है। जब चेयर की एक दफे आज्ञा हो चुकी है फिर समझ में नहीं आता कि कौनसी बात बाकी रह जाती है। अतः मैं इस पर अपने विचार पहले प्रस्तुत करता हूं क्योंकि that cannot be withdrawn.

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—On a Point of information, Sir, यह क्लॉज जो विचारार्थ रखी गई है यह अमेन्डड है या ओरीजिनल?

श्री उपाध्यक्ष—As amended.

श्री गोपीलाल यादव—माननीय अध्यक्ष, इस क्लॉज के सब-क्लॉज (२) में लिखा है;

"The State Government shall send for the papers aad appoint an officer to hear the appellant and report thereon to the State Government and shall pass such orders on the report as it may deem proper.

[श्री गोपीलाल यादव]

इसमें जो यह शब्द "shall pass" हैं इनको हमें ग्रामेटिकली देखना है। गवर्नमेन्ट एपोइन्ट करेगी अफसर को to hear the appellant और उस ऑफीसर की ड्यूटी होगी कि वह उस मामले पर रिपोर्ट करे, और रिपोर्ट पर ऑर्डर भी वही करेगा, यह कितनी गलत चीज हो गई है। सब-क्लॉज (२) के तृतीय 'and' से अगर गवर्नमेन्ट की मंशा है तो यह "and" गलत है। 'and' के बजाय 'which' होना चाहिये और अगर 'and' से अफसर की मंशा है तो यह तरीका एक दम गलत है।

अतः मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बड़ी भारी गलती है; इस क्लॉज में। एक व्यक्ति गवर्नमेन्ट के पास अपील करे और गवर्नमेन्ट अफसर नियुक्त करे और गवर्नमेन्ट जिस अफसर को नियुक्त कर रही है उस पर भी गवर्नमेन्ट को भरोसा नहीं, वह अफसर गवर्नमेन्ट के पास रिपोर्ट करे। अगर आपके पास टाइम ज्यादा है तो मिनिस्टर्स की तादाद काट कर आधी कर दीजिये; इससे रुपया भी बचेगा और काम भी होगा।

तो यह जो चीज है उसके लिये मैं यह अर्ज करूंगा कि गवर्नमेन्ट जिस अफसर को नियुक्त करती है तो उसी अफसर को यह अधिकार होना चाहिये कि वह ओर्डर करे।

श्री हरिदत्त—इस क्लॉज में यह साफ नहीं है कि जिस अफसर के सामने अपीलेन्ट अपील करता है उसके सामने वह पर्सनली एपियर हो या अपने कौन्सिलर को लेकर एपियर हो। यह गलत तरीका है कि वह रिपोर्ट कर दे, खुद परसनली ही एपियर हो। अगर रिविजन में परसनली ही एपियर होकर अपील करने का प्रोविजन रखा गया है तो यह अपील का प्रोविजन शोई (दिखावटी) है। अगर आपको अपील का प्रोविजन रखना है तो फिर आप अपीलेन्ट को पूरा राइट दीजिये कि वह अपने कौन्सिलर को लेकर एपियर हो सके; नहीं तो वह किस लिये जैसलमेर से चल कर आए। It is provision for appeals actually. अगर आप को एडमिनिस्ट्रेटिव पॉवर्स रखने हैं तो फिर ठीक है हैंग हिम, (उसे फांसी पर लटका दीजिए) और अगर अपील का प्रोवीजन रखना है तो लॉ में जैसा प्रोविजन है वैसा ही इसमें भी प्रोवाइड करना चाहिये। He should have full right to decide appeals according to the procedure of appeals.

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—Mr. Deputy Speaker, Sir, I move a closure.

श्री जसवन्तसिंह—On a point of Order, Sir, I rise to Oppose........

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—Well I am entitled to make a motion and this is my privilege and I make a motion.

श्री जसवन्तसिंह—And this our duty to oppose. We have got a right to oppose it.

श्री उपाध्यक्ष—No direct conversation.

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—And it is every member's right that he may make a motion to close a debate.

श्री जसवन्तसिंह—But the members have a right to oppose.

श्री उपाध्यक्ष—Both have a right and both have done it.

(विराम)

जो सदस्य इस क्लॉज पर विचार उपस्थित कर रहे हैं वे संशोधन की दृष्टि से होंगे। संशोधन अगर पेश नहीं करते हैं तो उस विचार से कोई विशेष लाभ नहीं होगा। संशोधन नोर्मली पहले पेश होना चाहिये पर जिन सदस्यों ने स्पीचेज दी हैं उनको अब भी इसकी इजाजत दी जाती है।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—Mr. Deputy Speaker Sir, I want a ruling by the Chair on my motion before I want to submit something, Sir.

श्री उपाध्यक्ष—पहले जो बात चल रही है, उसको डिस्पोज ओफ करने के बाद ही तय होगा।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—Shall I take it that my motion has been ruled out by the Chair.

श्री उपाध्यक्ष—Yes.

श्री टीकाराम पालीवाल—Mr. Deputy Speaker, Sir, I will just make a request that Hon'ble members do not anticipate decision or rulings of the Chair. It creates an unfavourable impression when members anticipate..........

(घंटी तथा ध्वनियें)

श्री उपाध्यक्ष—Order, Order!

(विराम)

क्योंकि इस पर आगे विचारार्थ कोई विधेयक नहीं आ रहा है, अगर मूवर ओफ दी मोशन चाहें तो श्री यादव ने जो इस पर कहा है उसके उत्तर में बोल सकते हैं।

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)—जो यादव साहब ने इस पर कहा है उसका उत्तर देना मैं मुनासिब नहीं समझता, इसको वोट पर रखा जाय।

श्री जसवन्तसिंह—आपने क्या फरमाया, हमने सुना नहीं।

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)—मेरी सुनाने की इच्छा नहीं थी।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज नं० ४ स्वीकार किया जाय या नहीं................

श्री जसवन्तसिंह—On a point of Order, Sir, Just now a ruling was given by your honour that the amendment which my friend was going to move should be taken now and re-opened. It will be contrary to your own decision and therefore..

Page No.56

श्री उपाध्यक्ष—He did not request that he is putting an amendment.

श्री गोपीलाल यादव—मैं यह निवेदन करने जा रहा था कि इस बिल में ऐसी ऐसी गलतियां हैं कि जब यह छपेगा और लोगों के पास जायगा तो बड़ी हंसी होगी। इसलिये इसे पब्लिक ओपीनियन के लिये भेजना बहुत आवश्यक है। मुझे इजाजत दी जाय कि अमेन्डमेन्ट लिख कर पेश करूं।

श्री जसवन्त सिंह—मैं आपको बताऊं कि अमेन्डमेन्ट मूव करने की इस तरह की परम्परा कायम कर दी गई है। कल भी इस तरह लिख कर अमेन्मेडन्ट मूव किया गया था।

श्री टीकाराम पालीवाल—उपाध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र अब एमेन्डमेन्ट रखना चाहते हैं। अब एमेन्डमेन्ट उसी हालत में रखा जा सकता है कि कोई उसपर ओब्जेक्शन न करे। तभी यह एन्टर्टेन किया जा सकता है और मैं अब किसी भी एमेन्डमेन्ट को स्वीकार नहीं करूंगा। मैं इस पर ओब्जेक्शन कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—सब-क्लॉज ४(२) की लैंग्वेज क्लीयर है।

"On officer to hear the appellant and report thereon to the State Goverment and shall pass such orders on the report as it may deem proper."

और संशोधन यह है ....

श्री गोपीलाल यादव—The amendment is before the House.

श्री टीकाराम पालीवाल—I object to it, Sir.

श्री गोपीलाल यादव—It is too late now.

श्री टीकाराम पालीवाल—It may not be taken if any objection is raised.

श्री एच. के. व्यास—On a point of order, Sir, the rule is that such objection shall prevail unless the Speaker in his discretion allows the amendment to move and since the Speaker has allowed........

श्री टीकाराम पालीवाल—And there should not be........

श्री उपाध्यक्ष—As there is no substantial notice, I disallow.

एक माननीय सदस्य—किसी माननीय सदस्य ने एमेन्डमेन्ट पर ओब्जेक्शन कर दिया है तो स्पीकर के पास डिस्क्रीश्नरी पोवर्स हैं कि वे उसे अलाउ करें या नहीं।

श्री उपाध्यक्ष—मैं इस एमेन्डमेन्ट को रूल आउट करता हूं।

श्री जसवन्तसिंह—क्या माननीय उपाध्यक्ष ने इसे डिस्क्रीशनरी पोवर्स से डिस-एलाऊ किया है ?

श्री उपाध्यक्ष—इसे डिस्क्रीशनरी पोवर्स से मना किया है ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लाज ४ विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लाज ४ विधेयक का अंग स्वीकार किया गया ।

खण्ड ५

श्री उपाध्यक्ष—अब क्लाज ५ के संशोधनों को विचारार्थ लिया जाता है ।

श्री हिम्मतसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, क्लाज नं० ५ के लिए मैंने जो एमेन्डमेन्ट पेश किया था वह इस प्रकार है:—

In line 3rd, the the words 'or any class of habitual offenders' and in line 4th and 5th the words "or every member of such class of offenders" be deleted.

यह एक आश्चर्य की बात है कि ऑफेन्डर्स का क्लासिफिकेशन हो रहा है । इस क्लास-लेस डेमोक्रेसी में नयी क्लासेज क्रियेट हो रही हैं; इसका हमें आश्चर्य है । इस चीज को हटाने के लिये मैंने यह एमेन्ड-मेन्ट रखा है ।

श्री जयनारायण व्यास—इसको रखने के लिये कानून बन रहा है ।

एक माननीय सदस्य—When the Deputy Speaker is in the possession of the House you should not interfere.

श्री हिम्मतसिंह (भाषण जारी रखते हुये)—ये शब्द डिलीट होने के काबिल हैं । इसके लिये ज्यादा अर्ज करने की जरूरत नहीं है । यह मानी हुई बात है । वह पक्ष भी मानता है, दुनिया मानती है कि क्लासलेस सोसाइटी होनी चाहिये; फिर ऑफेन्डर्स की क्लासेज होना एक आश्चर्य की बात है ।

श्री हरिदत्त—इस सम्बन्ध में मेरा भी एक अमेन्डमेन्ट है । क्लास ऑफ हेबिच्युअल ऑफेन्डर्स को कहीं डिफाइन नहीं किया गया है कि कौनसा ओफेन्स कोनसी क्लास ओफ ओफेन्डर्स में आता है । मान लीजिये कि एक आदमी एक दफे चोरी के जुर्म में सजा पाता है और वही दूसरी बार किसी और जुर्म में सजा पाता है; तो उसे आप किस क्लास में लेंगे, क्रिमिनल ट्राइब्ज के लिये क्लासेज हटाई गई थीं और अब बजाय हटाने के इसे तमाम जनता पर लागू किया जारहा है । साथ ही क्या यह क्लास ऑफ हेबिच्युअल ऑफेन्डर्स नई क्रिमिनल ट्राइब होगी ? जनता का गला घोटने के लिये यह नया कानून बनाया जारहा है ।

एक सदस्य—He did not request that he is moving an amendment.

श्री हरिदत्त—इस अमेन्डमेन्ट के लिए तो मुझे परमिट कर दिया गया था ; Therefore I have a right to speek.

श्री जयनारायण व्यास—But that has been withdrawn by him, Sir I want to know the position, Sir

श्री हरिदत्त—I have not withdrawn my amendment, Sir,

(विराम)

इस पर मैं अर्ज करना चाहता हूं कि कम से कम हम मालूम होना चाहिए कि "क्लास ऑफ हेबिच्युअल ऑफेन्डर्स" कौन सी है। "क्लास ऑफ हेबिच्युअल ओफेन्डर्स" को डिक्लेयर कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—चूंकि इस किस्म का अमेन्डमेन्ट मूव हो चुका है और इसकी बहस में काफी समय लगेगा कई ओनरेबल मेम्बर्स को बोलने का समय नहीं मिला है ; अतः जब इस पर बहस होगी तब उन्हें बोलने का मौका मिल जायगा। मैं इस अमेन्डमेन्ट को डिस एलाउ करता हूं।

श्री हरिदत्त–I am supporting the amendment already moved; मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक क्लास ऑफ ऑफन्डर्स डिक्लेयर नहीं होगी तब तक यह बात साफ नही होगी। शिड्यूल्ड ट्राइब्स एक्ट के अन्दर मीणे, कंजर, सांसी, कबूतरियां आदि को रखा गया था। अगर उन पर यह एक्ट लागू होगा तो उनको Indirect Way में फिर समाप्त किया जा रहा है जिनको उठने में कुछ लिबर्टी मिली थी । इससे वे लोग नाजायज फायदा उठावेंगे जो लोग उठाते चले आ रहे थे और ऑफेन्सेज भी ज्यादा बढ़ेंगे । अगर उन जातियों को फिर से डिफाइन किया गया तो जैसा कि मेरा तजुर्बा है, वे लोग फिर चोरियां करेंगे । अतः जैसी कि इसकी स्प्रीट है और जैसा कि सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट में लिखा गया है क्रिमिनल ट्राइब्स को हटा कर इसका डिमार्केशन नहीं होना चाहिए । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि "हेबिच्युअल ओफेन्डर्स" रखा जाय न कि "क्लास ऑफ हेबिच्युअल ओफेन्डर्स और एनी ओफेन्डर्स" रखा जाय । अगर ऐसा रखा जायगा तो वही स्प्रीट भी रह जायगी, उसकी भावना भी रह जायगी और क्रिमिनल ट्राइब्ज एक्ट की दूसरी शक्ल नहीं आयगी । अगर इस बात को नहीं रखा जाता है तो इसके माने यही होंगे कि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के अन्दर जो मीणे, कबूतरिये, कन्जर आदि थे उन पर यह फिर लगाया जा रहा है ।

श्री गोपीलाल यादव–माननीय अध्यक्ष.........

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)—I do not think the Hon'ble Member has been allowed to speak.

श्री गोपीलाल यादव–मैं समझता हूं कि मुझे भी बोलने का मौका दिया जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष–Allowed.

श्री गोपीलाल यादव--माननीय अध्यक्ष, मेरे मित्र ने जो अमेन्डमेन्ट रखा है में उसका समर्थन करता हूं और इस विषय में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। इस बिल में यह रखा गया है "एनी हैबिच्युअल ओफेन्डर"। This includes any offender and a class of Habitual Offenders. कहने का मतलब यह है कि जैसा कि मेरे मित्र हरिदत्तजी ने साफ कर दिया है, कि यह बात बिल में स्पष्ट कर दी जाय; वरना होगा यह कि सब के सब को हाजरी देनी पड़ेगी और गजट में जब यह बिल शाया होगा तो इन्डिविजुअल नाम से नहीं होगा। इसके केवल इतने शाया होने से उन लोगों को जिनका नाम रजिस्टर में दर्ज है, बड़ी दिक्कत हो जायगी और हर वक्त उन्हें हाजरी देने जाना पड़ेगा। गवर्नमेन्ट की मंशा तो इन्डिविजुअल से ही हो सकती है। मुझे सिर्फ यह एतराज है कि इसकी लीगल लेंगवेज ही गलत है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे मित्र इसको स्वीकार करेंगे। इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--Are you going to permit the reply.

श्री उपाध्यक्ष--Order, since all the amendments have not been taken......

श्री हिम्मतसिंह--I have raised only one point.

श्री हरिदत्त-He is replying to some points.

श्री हिम्मतसिंह--I have dealt with a part of it.

श्री उपाध्यक्ष-Will you move the amendments or would you rather wait till all the amendments are moved ?

श्री टीकाराम पालीवाल-I want to give reply.

श्री उपाध्यक्ष--Only if you want to explain a particular linguistic point raised, you can explain. If you want to reply as final, then it may be done later on.

श्री हिम्मतसिंह-दूसरा अमेन्डमेन्ट मेरे द्वारा पेश किया गया है। बिल के क्लाज ५ के सब क्लाज "ए" में यह रखा गया है कि Report himself at fined intervals"। इसके बजाय, मैं यह अर्ज करता हूं कि "Not more than two days in a month" रखा जाय। इससे हाजरी देने वालों को सहूलियत हो जायगी और उन्हें बारबार नहीं भटकना पड़ेगा क्योंकि एक रोज के दो रोज भी लग सकते हैं और दो के चार भी। मेरे इस अमेन्डमेन्ट से यह हो जायगा कि उन लोगों को महीने में दो ही दिन जाना पड़ेगा।

श्री श्रीदास गोयल-इस अमेन्डमेन्ट के सिलसिले में मेरे मित्रों ने जो फरमाया है उस सिलसिले में मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि सरकार की तो यही धारणा है कि आम जनता को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत और लाभ पहुंचे। मेरे मित्रों को मालूम नहीं है कि हैबिच्युअल ओफेन्डर्स एक रात में पैदल २० कोस चल लेते हैं अतः यह निहायत जरूरी है कि इस प्रिवेन्टिव सेक्शन को उसी तरह से रखा जाय। जैसा कि मेरे लायक मित्र ने कहा है कि उनको महीने में दो ही दिन हाजिर होने के लिए बाध्य किया

[श्री श्रीदास गोयल]

जाय । इस तरह पन्द्रह दिन में तो वे सारे राजस्थान में पहुंच जावेंगे । पुलिस वालों को भी बड़ी दिक्कत होगी । कहां वे किस तरह से हाजरी रखेंगे, गांव गांव में इस तरह के आफिसर रखने पड़ेंगे और वे उनकी हाजरी करते रहेंगे । इससे तो बड़ी अव्यवस्था हो जायगी । ऐसी परिस्थिति में जो यह क्लाज रखा गया है वह वाजिब है और आम जनता को लाभ पहुंचाने वाला है ।

श्री जसवन्त सिंह –अभी माननीय सदस्य ने जो फरमाया है उसके जवाब में मैं यह कहूंगा कि अगर सरकार की या सरकारी पक्ष के सदस्यों की यही मंशा है कि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, जिसे भारत के स्वतन्त्र बनने के बाद रद्द कर दिया गया है और क्लासलेस सोसाइटी में ऐसी क्लासेज को स्थान नहीं दिया गया है, उन्हें वापिस खड़ा किया जा रहा है । फिर इस प्रकार ही क्यों नहीं कर दिया जाय कि जितने भी शिड्यूल्ड ट्राइब्स में मोने, सांसी, कंजर, कबूतरिये आदि हैं और जो चोरियां करते हैं उनको एक जगह सेटल कर दिया जाय, उनको कभी वहां से निकलने न दिया जाय और ,बकौल माननीय सदस्य के तथा जनता के फायदे के लिए ऐसा किया जाना चाहिये; इससे जनता का फायदा भी होगा और लाभ भी पहुंचेगा, पुलिस भी परेशान नहीं होगी । अगर उनमें कोई जन्में या मरें तब भी वह उस जगह से रेस्ट्रिक्टड कैम्प से बाहर न निकलें ।

श्री कानसिंह–सदन के सामने जो अभी अमेंन्डमेन्ट हिम्मतसिंहजी ने पेश किया है उसके बारेमें कुछ शब्द अर्ज करना चाहता हूं ।

श्री टीकाराम पालीवाल–It seems, Sir, that a discussion has been started. Either all the amendments should be moved before the House, before a discussion starts, or otherwise I shall like to reply to the amendments one by one as it comes before the House.

श्री मानसिंह–May I..................

श्री उपाध्यक्ष–सहूलियत यह होती कि सब अमन्डमेंट पहले ले लिये जावें, मूव हो जावें । बाद में उन पर जो जो बोलना चाहें, बोल लें ।

श्री टीकाराम पालीवाल–Then the whole thing will be confused.

श्री कानसिंह–I will request the Hon'ble Member to allow me to speak.

श्री टीकाराम पालीवाल–हाउस के सामने एक एक अमेन्डमेन्ट प्रस्तुत हो, उसके हो चुकने पर बहस हो। इस तरह से............

श्री उपाध्यक्ष–जैसा भी हाउस तरीका पसन्द करे ।

श्री हिम्मतसिंह–जो सपोर्ट करना चाहें वे साथ ही बोल सकते हैं । यही क्रम चल रहा है । फिर एक नया तरीका पेश कर देना गड़बड़ करने वाली बात हो जावेगी ।

श्री टीकाराम पालीवाल–तो यही बात जवाब देने वाले को कहनी चाहिये थी ।

श्री कानसिंह–(जारी) आपकी इजाजत से मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अभी जो हिम्मतसिंह जी ने संशोधन पेश किया है "आफ्टर एवरी फिफ्टीन्थ डे"; यह संशोधन बहुत ही जरूरी है । अगर यह नहीं किया जावेगा तो जितने भी आफेंडर्स हैं वे करीब करीब बेरोजगार हो जावेंगे क्योंकि वे बिचारे अपना पेशा नहीं कर सकते, खेती वाला खेती नहीं कर सकता, व्यापार वाला व्यापार नहीं कर सकता कोई भी काम करने वाला अपना काम नहीं कर सकता । क्योंकि कभी थाने में बुलावा आवेगा तो कभी मुन्शी आ धमकेगा । कभी थानेदारजी का काम करेगा कभी मुन्शीजी का और इसतरह महीने में तीसों दिन थानेवालों की बेगार करता रहेगा । कभी वे कहेंगे थानेदारजी के लिये घास लाओ, कभी कहेंगे लकड़ी लावो; यह लावो, वह लावो। यों कहिये कि वह उनका अनपेड सर्वेन्ट हो जावेगा । रोजाना हाजरी होगी तो करीब करीब वह दीन और दुनियां से दूर होजावेगा, अपने बाल बच्चों को पाल सकने से महरूम हो जावेगा ।

इसके साथ साथ यह और हो जावेगा कि जब उसका चोरी का कोई जरिया नहीं रहेगा और यह तो नहीं रहेगा जब उसकी हाजरी शुरू होजावेगी तो, और जब उसका खाने कमाने का जरिया भी आपने हाजरी द्वारा रद्द कर दिया तब वह शख्स थानेदार को चोरी करने का जरिया बनावेगा । चोरी का हिस्सा देकर थानेदार को भी तैयार कर लेगा । और परिणाम यह होगा कि इस तरह वह सरकारी एजेन्ट थीफ हो जावेगा ।

ऐसी हालत में मैं अर्ज करूंगा कि यह बहुत जरूरी अमेन्डमेंट है । मैं इसका समर्थन करता हूं ।

राजा श्री मानसिंह–Mr. Deputy Speaker, Sir, from what I interpret the purpose of this Clause as it appears, I feel that a habitual offender will be asked to report himself at fixed intervals, so that the Administration may keep a check on him and confine his movements. Unfortunately, Sir, the way the Clause has been worded and the vague words that have been used there in, I feel that the Democracy that we have in India has been abused by our politicians and those incharge of the Administration. We will then be creating a Fascit State within this Democratic Republic. Sir, instead of keeping check on the habitual offenders, we shall be creating unnecessary harrassment to a class of people who are also human-beings, in the same manner as the Jews were persecuted in Germany. In my opinion, Sir, there must be a definite maximum interval, if a particular individual has to report himself about his movements to the authorities. Therefore I, support the amendment as it is put forth.

श्री मानसिंह महार (जमवा रामगढ़)–माननीय उपाध्यक्षजी, मुझे इस बात के बारे में बहुत कुछ तो नहीं कहना था और इस अमेन्डमेन्ट पर भी ज्यादा तो नहीं कहना था पर जो रफ्तार चल रही है उस

[श्री मानसिंह महार]

मालूम पडता है कि हमारी हर कोशिश करने के बाद भी सरकारी पक्ष इसे पास करना चाहता है; इसलिए अपना मिनिट आफ डिस्सेंट देने के बाद भी दो मिनिट आपके द्वारा सदन से कहने की आवश्यकता पड़ी है।

इस बिल में हमारे फंडामेन्टल राइट्स का हनन शुरु से आखिर तक हुआ है; पर सबसे बडा जो हनन है वह इस फिफ्त क्लॉज में है। इसमें क्लासीफाई किया गया है क्लास ऑफ ऑफेंडर्स' को।

जब जयपुर में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट को रिपील किया गया था उस कमेटी में मैं भी मेम्बर था और बड़ी कोशिश करके सरकार से उस एक्ट को रिपील करवाया था। पर हमारा दुर्भाग्य है कि जिस पार्टी के लोग इस काम को करवाने में मेरे कन्धे से कन्धा लगाकर उस एक्ट को रिपील करवाने में आगे थे वे ही आज इस काले कानून को सदन के सामने लाते हैं। हमारी थोड़ी माइनोरिटी होने के नाते और उनके पक्ष में भी जो सदस्य हमारी राय के हैं उनको पार्टी के डिसिप्लिन के नाते दबाया जाता है और कहा जाता है कि इस काले कानून को सपोर्ट करो। मैं समझता हूं इससे बड़ी हिटलरशाही हिन्दुस्तान की किसी लेजिस्लेचर में नहीं हुई।

("हीयर-हीयर" विरोधी पक्ष की ओर से)

मेरे एक मित्र कह रहे थे कि विरोधी दल केवल इस प्रकार रोड़े अटकाकर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैं इसके लिये यह कहना चाहता हूं कि टाइम वेस्ट जो हो रहा है महज आप लोगों की वजह से हो रहा है। यह इसलिये हो रहा है कि हम जो कुछ कन्स्ट्रक्टिव सजेशन देते हैं उसको स्वीकार करने के लिये हमारी सरकार कतई तैयार नहीं है। वह यह समझती है कि इन लोगों का बोलना एक तरह से स्क्रेप पेपर है जो जो रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक है, फिर भी सरकार चाहती है कि हम उनको सहयोग दें, वे हमसे सहयोग की आशा करते हैं और हमें कहा जाता है कि हम उनको सहयोग नहीं देना चाहते। ऐसे काले कानून को, ऐसी बातों पर, जो एक क्लास को, एक क्लास के आदमियों को नोटिफिकेशन के जरिये या और किसी जरिये दबाने की कोशिश की जाय और उसे हेबीच्युअल ओफेन्डर करार दिया जाय और उसे राजस्थान गजट में शाया किया जाय। सरकार चाहे हमें इसके लिये ऐसी बातें कहें कि सदन का समय बरबाद करते हैं लेकिन हम समझते हैं कि हमें इस काले कानून का विरोध करना चाहियें और करेंगे। सरकार द्वारा एक खास सेक्शन पर की जाने वाली ज्यादतियों से हम जनता को अवगत करते रहेंगे। इस तरह से हम सदन का समय बरबाद नहीं कर रहे हैं; किन्तु भारतवर्ष के लिए एक आदर्श उपस्थित कर रहे हैं और हिन्दुस्तान के लोगों को दिखा देना चाहते हैं कि सही मायने में जनता का राज्य किस तरह हुआ करता है, वे लोग सीखें। हम ही ऐसे हैं जो उनको सिखा सकते हैं।

उपाध्यक्ष जी, मैं आपके जरिये इस सदन को बता देना चाहता हूं कि इस प्रकार के कानून, इस प्रकार के सेक्शन्स जो लाये जाते हैं यह कानून ऊपर से देखने से ऐसा मालूम होता है जिसे देखने से हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी बातें लाने के बावजूद भी सरकार हमको आपके जरिये दबाती रहती है कि इधर उधर की बातें मत करो। फिर भी मैं कहूंगा कि हम इस कानून को रोकने के लिये किसी प्रकार के भी प्रयत्न में कमी नहीं रखेंगे। इसके बाद भी यदि यह पास होने लगेगा हमारे पक्ष के लोग "हां"

Page No.63

[श्री मानसिंह महार]

पक्ष की लॉबी के सामने लेट जायेंगे और ऐसा कर हम जनहित करेंगे । हम उनको जनता का बडा भारी नुकसान करने के रास्ते से सही रास्ते पर लाने की कोशिश करेंगे ।

अब मैं केवल दो शब्द खासतौर से मेरे उन मित्रों से जो ट्रेजरी बेंचेज पर बैठे हैं और जो पार्टी डिसिप्लिन के नाम से बन्धे हुए हैं, जो मूक हैं, जो कुछ भी नहीं कह सकते, उनकी आत्मा कराह रही है, जो उनके चहरे से प्रतीत हो रहा है, फिर भी वे बोल नहीं सकते ; उनसे मैं अपील करूंगा कि इन बातों के लिये वे पार्टी के प्रपंच को छोड़ जहां वास्तविक न्याय हो उनके साथ चलें और कन्धे से कन्धा मिलायें । आप जैसे पहले काले कानून का विरोध किया करते थे इस कानून का भी विरोध करें और राजस्थान में सही तरीके से जनतन्त्र स्थापित करने में मदद दें ।

श्री तेजमल बापना–श्री उपाध्यक्ष, जिस कानून पर सदन में बहस हो रही है उसके क्लॉज बाइ क्लॉज पर न बोलकर हर समय इसी बात को दोहराया जा रहा है कि यह बहुत बडा काला कानून है और इससे जनता को बहुत नुकसान होगा । मेरी समझ में नहीं आता कि यह किस प्रकार काला कानून है ? बहुत से ऐसे काम हैं जिसके लिये जो भारतीय संविधान है उसकी हमें शरण लेनी पड़ती है । हमारे यहां हैबिच्युल आफेंडर्स बिल बन रहा है । समझ में नहीं आता कि इसमें ऐसी कोनसी बात है जिस से यह कहा जाता है कि यह काला कानून जनता के सर पर थोपा जाता है । न तो यह कानून किसी जाति विशेष के खिलाफ है, न किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ । यह बिल तो सिर्फ उन लोगों द्वारा किये जाने वाले आफेंसेज को रोकने के लिये बनाया जा रहा है जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं ।

श्री मानसिंह (जमवा रामगढ़)–ओन ए पाइन्ट आफ इन्फार्मेशन सर । यदि वे इन बेंचेज पर आकर बैठ जावें तो उनको मालूम हो जायगा कि यह कितना काला कानून है ।

श्री तेजमल बापना–किसी भी बेन्च पर बैठने से उनका दिमाग बदल नहीं सकता । यदि इस बिल को उचित ढंग से पढ़ा जावे तो उन बेंचेज पर बैठने वाले भी सरकार की इस बिल के पीछे छिपी हुई जो गूढ़नीति है उसकी तरफ पहुंच जावेंगे । इसके पीछे छिपे हुए विचार केवल यही हैं कि जो हैबिच्युल आफेंडर्स हैं उनको किसी प्रकार रोका जावे और यह कानून जो बनाया जावेगा वह बिल्कुल साफ है । इस बिल के अनुसार उन लोगों की पहले लिस्ट बनाइ जावेगी, फिर उसको शाया किया जायगा और उन लोगों को "शो कॉज" का मौका दिया जाएगा और वे अपना जवाब पेश करेंगे; उसके बाद...

श्री श्रीदास गोयल—Is it proper, Sir, ? I pray that he should not be interfer ed, with.

श्री एच. के. व्यास–On a point of order, Sir, is it open to a member while discussing this clause to refer to other clauses of the Bill and start a general debate ?

श्री उपाध्यक्ष–The Hon'ble Member will confine himself to this clause.

Page No.64

श्री तेजमल बापना–I am speaking to the point, Mr. Deputy Speaker, Sir. Clause 5 refers to habitual offenders who should report themselves to notify residence. I am speaking on the very clause.

मैं कह रहा था कि पहले लिस्ट बनाई जावेगी। उसके बाद नोटिस दिया जावेगा कि यदि किसी को इस पर कोई एतराज हो तो वह उसको क्लेरिफाइ कर सकते हैं और आगे अपील में भी जा सकते हैं। लेकिन मेरे पूर्व वक्ता ने इस पर अपने विचार प्रकट किये हैं और कहा है कि यह बड़ा काला कानून है। समझ में नहीं आता कि किस प्रकार यह काला कानून है? दर असल यह ओफन्सेज को रोकने के लिए और हैबिच्युअल ओफेन्डर्स, जो पीढियों से इस प्रकार का धन्धा करते हैं उनको सुधारने के लिए है। अभी तो बहुत क्लाजेज बाकी हैं। हर अमेन्डमेन्ट को लेकर यह कहा जाता है कि जनता की भावनाओं को दबाया जा रहा है और यह काला कानून जबर्दस्ती जनता पर थोपा जा रहा है; यह बात ठीक नहीं है। अतः मैं इस पर जो अमेन्डमेन्ट आया है उसका विरोध करता हूं और जिस प्रकार क्लाज है उसका समर्थन करता हूं।

श्री अवनिकुमार–माननीय उपाध्यक्ष, मैं दो चार शब्द इस संशोधन के समर्थन में कहना चाहता हूं। इस सेक्शन में सबसे पहले मुझे यह ऐतराज है कि कांस्टिट्यूशन आफ इन्डिया के लागू हो जाने के बाद भी इस हैबिच्युअल ओफन्डर्स बिल के अन्दर इस क्लाज की क्या आवश्यकता हुई और यह क्लाज क्यों आया यह बात मेरी समझ में नहीं आई। दूसरी बात जिस पर कि मुझे एतराज है वह इन शब्दों पर है "Report himself at fixed intervals" मेरी समझ में नहीं आता कि फिक्स्ड इन्टरवल्स का सरकार ने क्या मतलब लिया है? इसका मतलब यह भी हो सकता है कि वह व्यक्ति रोज आकर अपनी हाजरी दे। यह भी हो सकता है कि दो दिन बाद या सात दिन बाद या १५ दिन बाद या महीने महीने में एक दफे जाकर अपनी हाजरी दे सकता है। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि सरकार की मंशा क्या है। सरकार के लिए यह बताना जारूरी है कि यह " fixed interval " क्या होगी? मैं यह अर्ज करूंगा कि सरकार को कानून बनाते समय यह देखना चाहिए कि इस कानून की जितनी भी धाराएं हों वे स्पष्ट हों और उनमें कानूनी कमी न हो; जिससे कानूनी काम आसानी से हो सके। ऐसी धाराएं नहीं बनानी चाहियें जो फंक्शन नहीं कर सकें और आगे चल कर हमें उनमें रद्दोबदल करना पड़े ऐसे कानून के बनने से सदन को व आप सबको कष्ट होगा क्योंकि वे कानून फिर से रद्दोबदल करन के लिए आएंगे। इसलिए मैं मिनिस्टर महोदय से अर्ज करूंगा कि जो हमारे न्यायपूर्ण ऐतराज हों उनका ठीक तरह से जवाब दें। बस इतना ही कह कर मैं अपना आसन ग्रहण करता हूं।

श्री श्रीदास गोयल–I move closure, Sir, so far as this amendment is concerned.

श्री भैरोंसिंह केबवा–मैंने पहले भी अर्ज किया कि.........

श्री टीकाराम पालीवाल–(उप-मुख्य मंत्री,)–Mr. Speaker, Sir, on a closure having been moved, no speech should be made.

श्री श्रीदास गोयल–Sir, I want your honour's decision, so far as the closure concerned.

Page No.65

राजा श्री मानसिंह—Mr. Deputy Speaker, Sir, the Hon'ble Member may have got up from his chair, but the Hon'ble Member this side caught the eye of the Chair.

श्री उपाध्यक्ष—Let him speak.

श्री श्रीदास गोयल—I have already declared a closure. Now I pray that a closure be allowed.

एक सदस्य—I oppose this closure, Sir.

श्री भैरोंसिंह केलवा—माननीय अध्यक्ष, यह बिल क्राइम्स को रोकने के लिए और क्रिमिनल्स को रोकने के लिए है न कि क्रिमिनल्स को बढाने के लिए । मैं विश्वास करता हूं कि गवर्नमेन्ट की भी इस बिल को रखने में यही मंशा है कि उनको सुधारा जाय । परन्तु वास्तव में इस पर गौर करके देखा जाय तो आपको मालूम होगा कि इस बिल से जिन लोगों को हैबिच्युअल ओफन्डर करार दिया जायगा उनकी हालत जेलों में जो कैदी रहते हैं उनसे भी बदतर हो जायगी । जेलों में जो कैदी रहते हैं उनको तो सरकार खाने को देती है परन्तु जो हैबिच्युअल ओफन्डर्स बाहर रहेंगे उनको अपने घर का खाना खाकर पुलिस वालों का काम करना पड़ेगा और पुलिस वालों को भी खिलाना पड़ेगा ।

यह तो मानी हुई बात है कि हमारे संविधान में जुडिशियरी और लेजिस्लेचर से जोरदार एक्जीक्यूटिव साइड है । इन दोनों से कहीं ज्यादा अधिकार एग्जीक्यूटिव के पास हैं, उनको काउन्टरएक्ट करने के लिए जुडिशियरी है; लेकिन इस बिल से ऐसे लोगों को इससे भी वंचित कर दिया गया है, एग्जीक्यूटिव को सबसे बड़े पावर दे दिये हैं । ये पावर डेमोक्रेसी के उसूलों के बिल्कुल खिलाफ हैं । इस बिल में जो यह टाइम की पाबन्दी रखी गई है वह ऐसी है कि वे बेचारे अपने घर का कुछ भी काम नहीं कर सकेंगे, उनको हमेशा पुलिस में ही बैठा रहना पड़ेगा । वैसे ही पुलिस पांच, सात दिनों तक आदमियों को रोके रखती है; यह बिल्कुल गलत तरीका है ।

इसमें जो "क्लास" वर्ड रखा है यह भी बिल्कुल अवैधानिक और अन्यायपूर्ण है। एक क्लास के ८० आदमी अगर चोरी करते हैं तो बचे हुए २० आदमियों को सजा देने का कोई भी हक किसी कानून को नहीं है। जो भी आदमी कोई अपराध करता है तो उसकी सजा उसी को मिलनी चाहिए। ५ आदमियों के अपराध करने के कारण सरकार १००० आदमियों को इस एक्ट में फंसाना चाहती है, २० आदमियों का इन्सटान्स देकर सरकार सारी की सारी क्लास को इस एक्ट के मातहत इन्वोल्व करना चाहती है। हर जाति में चोरी और ४२० के अपराध हो सकते हैं; चाहे ब्राह्मण, राजपूत, जाट कोई भी जाति हो। इसके माने यह नहीं हैं कि सारी जाति को उन चंद लोगों के बदले सजा दी जाय। इस एक्ट के माने यही हैं कि पुराने एक्ट को हमने बदल कर पेश किया है । टाइम की हाजरी की जो पाबन्दी रखी गई है यह बिल्कुल गलत चीज है । इससे उन लोगों की हालत जेल के कैदियों से भी बदतर हो जायगी। इससे क्रिमिनल्स सुधरेंगे नहीं; बल्कि क्रिमिनल्स और भी बढ़ जायेंगे। अतः अन्त में मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि टाइम के बन्धन को तोड़ दिया जाय और "क्लास" वर्ड को हटा दिया जावे ।

Page No.66

श्री जसवन्तसिंह–मेरा पाइन्ट ऑफ आर्डर यह है कि एक माननीय सदस्य ने क्लोजर मूव किया कि इस विषय पर काफी बहस हो चुकी है। अब इसे आगे चलाने की जरूरत नहीं। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह महत्वपूर्ण··········

श्री टीकाराम पालीवाल–This is not a point of Order.

एक सदस्य–I have my right to speak.

श्री उपाध्यक्ष–Now I am allowing the closure motion.

Deputy Leader may reply.

श्री एच. के. व्यास–In the first place I submit that closure has not been moved properly. Under Rule 96..........

एक सदस्य–But the closure has been allowed.

श्री एच. के. व्यास–Under Rule 96, the form in which a closure has to be moved is: "that the question be now put". I have never heard these words being said in the House. My second point is that even after the motion has been permitted to be made by the Chair the opinion of the House has got to be taken. The motion then is put to the House, whether a closure should be permitted or not. That is under clause 96 (2). When the motion "that the question be now put" has been carried, the opinion of the House is taken. So my second objection is that even though the permission has been granted to say this, no opinion of the House has been taken on this. In any case, my submission is that a decision of the House should at least be taken in this respect under the rules.

श्री उपाध्यक्ष–The Question before the House is that the closure be accepted.

(मतदान के पश्चात)

श्री जसवन्तसिंह–The Noes have it.

श्री उपाध्यक्ष–No, the Ayes have it.

श्री जसवन्त सिंह–It is an encroachment on the House.

श्री उपाध्यक्ष–They should stand in their places and heads will be counted.

(सदन में सदस्यों का अपनी बैठकों पर आना)

श्री जसवन्तसिंह–Persons who had no interest in the Law were not in this House.

Page No.67

श्री टीकाराम पालीवाल–Of course, they are not interested in the law, the law is made for those who are interested.

(गणना)

श्री उपाध्यक्ष–The closure is allowed

श्री जसवन्त सिंह–आन ए पाइन्ट आफ एक्सप्लेनेशन, सर ।

हमारी यह अर्ज है कि क्या क्लोजर के माने यह है कि जो अमेन्डमेन्ट अभी हमारी तरफ से पेश किया उस पर क्लोजर हुआ है या सब क्लॉज पर ?

श्री उपाध्यक्ष–सिर्फ दो अमेन्डमेन्ट्स हैं । एक श्री एच. के. व्यास का और दूसरा श्री हिम्मतसिंह का, दोनो को एक साथ लिया गया है ।

श्री जसवन्त सिंह–श्री एच. के. व्यास अभी तो बोले नहीं है। Sir, there is a misunderstanding on this matter.

श्री टीकाराम पालीवाल–No misunderstanding, Sir.

श्री उपाध्यक्ष–जो अमेन्डमेन्ट्स लिए गये हैं दोनों ही है । इनमें से श्री एच के व्यास का अमेन्डमेन्ट छोड़ दिया गया है ।

(विराम)

Now if the Deputy Leader of the House wants to speak he may do so in regard to the amendment of Shri Himmat Singh. Then the amendment will be put to Vote.

श्री टीकाराम पालीवाल–I do not want to give any detailed or lengthy reply. All that I say is that I do not agree to the amendments and I ask the verdict of the House.

(संशोधन पर मत लिये गये और संशोधन अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष–अब श्री हिम्मतसिंह का दूसरा संशोधन प्रस्तुत है । सदन के सम्मुख प्रश्न यह है कि क्या यह संशोधन स्वीकार किया जाय ।

विरोधी पक्ष–हां ।

श्री उपाध्यक्ष–जो विपक्ष में हों वे ना कहेंगे ।

सरकारी पक्ष–ना ।

Page No.68

श्री उपाध्यक्ष–ना पक्ष जीता ।

श्री जसवन्तसिंह–No Sir, the Ayes have won.

श्री टीकाराम पालीवाल–Noes have won.

श्री उपाध्यक्ष–डिविजन चाहते हैं ।

श्री जयनारायण व्यास– Division has not been claimed, Sir.

श्री जसवन्तसिंह–We claim Division, Sir.

श्री उपाध्यक्ष–Division Allowed.

(६,१५ सायं पर विभाजन हुआ)

श्री उपाध्यक्ष–संशोधन के पक्ष में ५० मत तथा विपक्ष में ६३ मत । संशोधन गिर गया ।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

श्री टीकाराम पालीवाल(उप-मुख्य मंत्री)–In view of the fact tha. today the progress of the Bill is very slow, I will request the Chair to carry on the business till 9-00 P.M. From tomorrow we may have two sittings, the first from 8 to 12 and the secon from 3-00 P.M. to 7-00 P.M. Today I say we may continue till 9-00 P.M.

श्री जसवन्तसिंह–श्रीमान् उपाध्यक्ष, जो सरकार की तरफ से सुझाव दिया गया है उस पर हमें एतराज है। यदि हमारे साथियों को इस प्रकार के कानूनों को तेजी के साथ पास करना है तो वे कर सकते हैं । हम तो उसके कानूनी पोइन्टस पर बोलेंगे। हम भी आदमी हैं, हमारे भी दूसरे काम हैं; इसलिए हम उनके दिये हुए सुझाव को, कि ८ बजे से १२ बजे सुबह और शाम को ३ से ७ तक को नहीं मान सकते । हमारी पार्टी मीटिंग्ज भी होती हैं । हां, अगर कोई देश के हित का काम होता तो हम उसको खुशी से इससे भी ज्यादा समय दे कर यानी सुबह ९ बजे से दूसरे रोज सुबह ६ बजे तक भी, अगर हमें बैठना पड़ता तो भी हम उसको करने के लिए तैयार थे । मगर यह काम इतना जरूरी नहीं है । यदि सरकार कानून बनाने में हमारा सहयोग चाहती है और यह चाहती है कि हम उसको सहयोग दें तो हम उसको सहयोग देने के लिए तैयार हैं और अगर सरकार हमारा सहयोग नहीं चाहती तो उसे हमारी एब्सेन्स में पास कर सकती है । हमारी मौजूदगी में हम राजी खुशी से ऐसे बिल में सहयोग देने के लिए तैयार नहीं हैं । हम लोगों ने इस आधार पर कि सदन का समय २ बजे से ६। बजे का हो गया है, उसी आधार पर अपनी पार्टी के एन्गेजमेंट तय कर लिए और आज, कल और परसों तक के लिए हमारे एन्गेजमेंट तय हो चुके हैं और हम इस काम को इतना जरूरी नहीं समझते कि अपनी पार्टी के एन्गेजमेंट को तोड़ दें । फिर भी यदि मेरे साथी इस बिल को तेजी से पास करना चाहते हैं तो हमसे कह दें कि हम इस बिल पर न बोलें या एबसेन्ट होवें तो हम एबसेन्ट हो जावें । कांग्रेस के सदस्य जो जो कानून पास करना चाहें

[श्री जसवन्त सिंह]
पास करलें, उनके सामने कोई अमेन्डमेन्ट नहीं आवेगा । लेकिन जब तक हम सदन में उपस्थित होंगे और जिन जिन बातों पर हमको कहने का हक होगा, हम कहेंगे । अभी जो सरकार की तरफ से सुझाव रखा गया है उसको हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं ।

श्री टीकाराम पालीवाल–मैंने एक व्यवहारिक बात कही थी । विरोधी दल के नेता ने सुझाव का विरोध करते हुए कई बातें कहीं जिनका कोई आधार नहीं मालूम होता । उनका कहना है कि जो कानून इस समय सदन के सामने है किसी जाति विशेष को दबाने के लिए बनाया जा रहा है । मुझे बहुत खेद है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मालूम हुआ, इस कानून के विषय में यह कहना कि यह किसी जाति विशेष को दबाने के लिए बनाया जा रहा है। जाति विशेष के कानून तो हमने समाप्त किये हैं और उन्हें खत्म करने में बहुत कुछ इसी दल ने भाग लिया है । यह कानून केवल अपराधियों के लिए है जो अदालतों द्वारा दंडित हो चुके हैं और अंतिम रूप से कई बार अपराधी करार दिये जा चुके हैं । फिर मैं नहीं समझ पाया कि इसे जाति विशेष के लिए कैसे कहा जाता है ? जिस जाति के लोग पहले दुखी थे उनको दुख से मुक्त कर दिया गया है । मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि यदि विरोधी दल के सदस्यों के दिल में इस प्रकार की आशंका है और इसी कारण वे इसे पास करने में देरी कर रहे हैं तो उनकी ये आशंकाएं निर्मूल हैं। इसी आशंका के आधार पर देरी लगाई जा रही है तो वह गलत चीज है। साथ ही मैं यह भी निवेदन करूंगा कि काला कानून कह देने से ही कोई कानून काला नहीं हो जाता । माननीय मित्र ने कहा कि यदि कोई देश हित का कानून हो तो रात को १२ बजे तक ही नहीं बल्कि सुबह ६ बजे तक वे बैठने को तैयार हैं ।

एक सदस्य–Time is over.

श्री टीकाराम पालीवाल–(भाषण जारी रखते हुए)–यह निश्चित रूप से जनहित का कानून है । जो थोड़े से अपराधी हैं उनको नियंत्रण में रखना और जनता के बड़े भाग की उनसे रक्षा करना आवश्यक है । फिर आप कैसे कह सकते हैं कि यह कानून जन हित के लिए है देश हित के लिए नहीं । यह कानून केवल इसी राज्य में बन रहा हो ऐसी बात नहीं है। दूसरे राज्यों में भी ऐसे कानून बनाये जा रहे हैं और केन्द्र से ऐसा सुझाव मिला था कि इस प्रकार के कानून बनाये जायं । यदि देश के जनहित को किसी एक दृष्टिकोण से, किसी दल विशेष के दृष्टिकोण से, वर्ग विशेष के दृष्टिकोण से देखा जाय तो संभवतः जनहित नहीं होगा; लेकिन समुचित समाज हित के दृष्टिकोण से देखा जाय तो निश्चित रूप से इससे जनहित होगा ।

श्री कानसिंह–ओन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर। सदन के सामने महज सवाल यह था कि सदन की बैठक कब तक हो । लेकिन आप यहां बिल के ओब्जेक्ट्स एंड रीजन्स पर इस तरह से बोल रहे हैं ।

श्री टीकाराम पालीवाल (भाषण जारी रखते हुए)–माननीय मित्र ने यह कहा था कि यदि यह कानून जनहित का हो तो वे सब कुछ करने को तैयार हैं । यदि जनहित के लिए होगा तो सदन

Page No.70

[श्री टीकाराम पालीवाल]

यह कानून पास करेगा; इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। किन्तु मेरे साथियों (विपक्ष की ओर इशारा करते हुए) का यह उद्देश्य मालूम होता है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा देर लगाई जाय।

श्री हिम्मतसिंह--We do not want to hear the sermons.

श्री मानसिंह (जमवा रामगढ़)--We want the ruling form the Chair.

श्री उपाध्यक्ष--अब समय हो गया है अतः सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है। कल दो बजे इस सदन की कार्यवाही शुरू होगी। आज की कार्यवाही में देर हुई है; अतः मैं यह चाहूंगा कि इसमें प्रगति होनी चाहिये। जो कार्य बाकी रहा है वह अब कल दो बजे लिया जावेगा। समय के बारे में कल हाउस की प्रगति देखकर फिर उस पर विचार किया जावेगा।

(सभा की कार्यवाही ६ बज कर २८ मिनिट पर समाप्त हुई और सदन की बैठक दिनांक १९ फरवरी, १९५३ के दो बजे मध्याह्न तक के लिये स्थगित हुई।

सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक, १८ फरवरी, १९५३

मनसाराम पुरोहित,
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

(प्रश्न संख्या ?२/एस. एम. से सम्बन्धित)

परिशिष्ट—१

हरसोर (राजस्थान) में नदी के बांध की मरम्मत से केवल एक लाख रुपये में पांच लाख मन अधिक अन्न उपजाने की योजना पर प्रकाश

हरसोर (तहसील मेड़ता डिविजन जोधपुर राजस्थान) में नदी के टूटे हुए बांध की रिपेरिंग से तराई होने वाले उन ग्रामों का कुओं सहित विवरण जो बांध कमेटी हरसोर द्वारा बांध से सरसब्ज होने वाले सम्बन्धित ग्रामों के वयोवृद्ध व अनुभवी प्रमुख किसानों द्वारा एकत्रित किया गया। निम्नलिखित पड़तल कुए भी चूने पत्थर से पक्के बन्धे हुए हैं लेकिन पानी के अभाव से व्यर्थ पड़े हुए हैं। जब बांध बंधा हुआ था तब यह सब कुए सिंचाई योग्य थे। चालू सिंचाई योग्य कुओं म भी पानी का अभाव सा रहता है।

तहसील मेड़ता के ग्राम

संख्या	ग्राम	चालू कुए	पड़तल कूए
१	थाटा	२१	२४
२	मांडल बड़ी	२४	२३
३	मांडल देवा	७	१७
४	मोड़ी कलां	२१	३७
५	लवादर	२५	१४
६	नीमड़ी छोटी	२४	३०
७	नीमडी बाया	२४	१४
८	रलियावता	१०	२२
९	भंवाला	२	६
१०	राजलोता	२३	४३
११	मोराण्या	३४	३३
१२	लुणीयास	१८	२२
१३	बनवाडा	१७	२०
१४	भेरुंदा	४०	७७
१५	पाटनीया	०	१०
१६	गोल	१२	१५
१७	मोरीयाना	१४	५५
१८	गोरढा	६	५०
१९	कला का वास (पंचरडा)	५	४
२०	सुरीयास	४	९
२१	ओरीयाना	१७	३१
२२	बोफली	१०	३५
२३	हरसोर	१००	२५०
		४५८	८४१

संख्या	ग्राम	चालू कुए	पड़तलकूए
१	रिड	१७	१००
२	बागोट	२०	३१
३	टिबली	२	८
४	जवला	३५	४५
५	आंतरोली	२३	१२
६	मकरी	३६	५१
७	किशनपुरा	७	१२
८	दाढी खेडा	१	१
९	निबोला	८	५
१०	नरमा	२४	१२
११	मानीगांव	२५	२६
१२	टापरडा	४१	६०
१३	सिटावट	१२	९०
१४	खेडा	३	१४
१५	बाजवास	३४	५४
१६	मोड़ीसुरज	२२	५०
१७	खेड़ी	११	१९
		३२१	५९८

कुल चालू ७७९ कुओं से मोजूदा पैदावार फी कुआ २५० मन से १८४७५० मन।

कुल चालू कुए ७७९ को पाणी की सजलाइ से बढ़ौतरी फी कुआ १५० मन से ११६८५० मन।

कुल पड़तल कुए १४३६ चालू होने से फी कुआ ४०० मन के हिसाब से ५७५६०० मन।

कुल कुये २२१८ कुल अनाज फी कुआ ४०० मन से ८८७२०० ।

(१) चालू कुओं से अभी अन्दाज १६४७५० मन अनाज प्राप्त होता है बांध बन्ध जाने से पड़तल कुए चालू हो जाने से करीब करीब पांच लाख पचहत्तर हजार छै सो मन अनाज व चालू कुओं में बढोतरी से एक लाख सोलह हजार मन अनाज ऐसे कुल करीब करीब सात लाख मन अनाज ज्यादा पैदा हो सकता है।

(२) इसके अलावा श्रावणू खेतों में भी बढोतरी होगी।

(३) सीमेण्ट व बूलन फैक्ट्री की काफी गुंजायश है।

(४) इस बांध के बंधवाने में सरकार को सिर्फ अंदाजन (१,००,०००) एक लाख रुपये खर्च करने होंगे।

(५) इरिगेशन डिपार्टमेन्ट, राजस्थान सरकार, द्वारा सर्वे होकर एस्टीमेट बने काफी अर्सा हो चुका है।

श्री बांध कमेटी, हरसोर द्वारा प्रकाशित

हरसोर, अप्रेल, सन् १९५२ ई०

परिशिष्ट २

[कृपया प्रश्न संख्या १३९ (ड) का उत्तर देखिये]

तालाब जो बेकार हैं

(१) बागहेरा कालां

(२) ईन्चरा

(३) टोवरी

(४) राताखुर्द

(५) करबान

(६) जाट का बन्द

(७) ईसापूर

(८) बालेटा

(९) जीवाना

(१०) नावगांव

(११) इसरोदा

(१२) बागेरा

(१३) तीजेरा

(१४) भादूनसी

(१५) धीरायावास

(१६) अतारोबास

(१७) सान्डपूरा बड़का

(१८) बगेरी खुर्द

(१९) बिलासपुर

(२०) ओल्ड़ चन्देली

परिशिष्ट ३

(तारांकित प्रश्न जो कि प्रश्न-समय में न लिया जा सकने के कारण सदन की मेज पर रखा गया)

१५५. (३७ एस. एम.) श्री गुरदयालसिंह सन्धु, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर ४६--क्या सिंचाई मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे --

(क) एफ. नहर जिला गंगानगर इस रबी सीजन में कितनी दफा टूटी है और उसके टूटने का क्या कारण है ?

(ख) सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर—

(क) जिला गंगानगर में एफ. नहर इस फसल रबी में दो दफ़ा काट ली गई।

यह नहर दोनों दफा टूटी नहीं बल्कि जमीदारों ने काट ली थी।

(ख) कानून के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

एफ. नहर एक दफा तो इलाका के जमींदारों ने २२-११-५२ को काट ली थी जो कि सिंचाई विभाग ने मरम्मत करा दी थी। अधिशासी अभियन्ता गंगानगर ने सहायक अभियन्ता को कानून के अनुसार तावान लगाने के वास्ते नोटिस नं० १ जारी करने की निदेश दे दी है। दूसरी दफा मटीली गांव के जमीनदारान ने २३-१-५३ को एक नहर काट ली थी जिस का केस पुलिस को दिया जा चुका है और सिंचाई विभाग के कानून अनुसार तावान लगाया जा रहा है।

परिशिष्ट ४

(अतारांकित प्रश्नोत्तर जो कि सदन की मेज पर रखा गया)

4. (21/C.M.) **Shri H.K. Vyas, M.L.A.,** (*Div. No.* 160) Will the **Minister-in-charge for Finance** be pleased to answer :

What has been the total expenditure incurred for the Ministers of the Rajasthan Government during the financial year 1952-53 on the following heads:—

(*i*) Salary.
(*ii*) Travelling Allowance Bills.
(*iii*) Purchase of Cars.
(*iv*) Maintenance of cars including expenses for petrol.
(*v*) Telephone Bills.
(*vi*) Repairs, innovations etc. for Bungalows.
(*vii*) Staff like P.As., Chaprasis, Gardeners, and other staff on household establishments.

उत्तर—

(*i*)	Rs.	99,554/-/-
(*ii*)	Rs.	23,465/-/-
(*iii*)		Nil
(*iv*)	Rs.	86,502/3/-
(*v*)	Rs.	20,055/14/-
(*vi*)	Rs.	24,674/-/-
(*vii*) —		
Salary of P. Ss., P. As. Stenos, Clerks, & Class IV servants	Rs.	1,27,224/7/-
T.A. expenditure in respect if the above	Rs.	23,332/15/-
	Rs.	4,04,808/11/-

परिशिष्ट ५

DIVISION NO. 1

AYES—52

Amendments Nos. 23 and 24 on clause 4 of The Habitual Offender's Bill, 1952, of Danta Ramgadh.

Dated the 18-2-1953.

Serial No.	Divn. No.	Member's Name
1	1	Shri Abani Kumar Mookerji.
2	2	Lt.-Col. Shri Rajadhiraj Amar Singh.
3	4	Shri Sardar Arjun Singh.
4	12	Th. Shri Bhairon Singh from Bali-Desuri.
5	13	Shri Bhairon Singh from Rajsamand-Relmagra.
6	16	Shri Bhairon Singh from Danta Ramgarh.
7	17	Shri Th. Bhim Singh.
8	20	Shri Bhopal Singh.
9	23	Maharaj Kumar Shri Brijendra Pal.
10	26	Pt. Chandra Kant Rao.
11	30	Shri Chittar Lal Sharma.
12	36	Th. Shri Dharam Chand.
13	39	Lt.-Col. Shri R. Dileep Singh.
14	41	Shri Ganga Singh.
15	42	Shri Ganpat Singh.
16	46	Th. Shri Gopal Singh.
17	47	Shri Gopi Lal Yadav.
18	50	Shri Hanwant Singh.
19	54	Shri Hari Datta.
20	61	Shri Raj Himmat Singh from Atru.
21	63	Shri Ishwar Singh.
22	64	Shri Jagat Singh Jhala.
23	66	Kr. Shri Jaswant Singh.
24	67	Shri Jawan Singh Solanki.
25	68	Shri Jeyendra Singh.
26	69	Shri Kan Singh.
27	27	Shri Keshri Singh from Sojat Main.
28	75	Maharaj Shri Kesri Singh from Patan.
29	76	Shri Kesri Singh from Mandalgarh.
30	77	Shri Ket Singh.
31	90	Th. Shri Madho Singh from Jalore 'A'.
32	93	Shri Mangal Singh Kachhwaha from Jodhpur Tehsil North.
33	97	Rawat Shri Man Singh.
34	98	Shri Raja Man Singh.
35	100	Shri Mohbbat Singh.
36	103	Shri Mohan Singh.
37	108	Shri Mukti Lal Modi.
38	114	Shri Nathu Singh.
39	115	Shri Pratap Singh from Chittor.
40	117	Shri Pratap Singh from Sujjan Garh.
41	118	Shri Pyare Lal.
42	121	Major Apji Raghuraj Singh.
43	131	Pt. Roop Narain Shastri.
44	132	Capt. Sajjan Singh.
45	134	Shri Sangram Singh.
46	136	Shri Santhosh Singh Kachhawaha.
47	137	Rao Raja Sardar Singh.
48	139	Rawat Shri Shambhu Singh.
49	148	Shri Tan Singh.
50	150	Shri Tej Raj Singh Gainta.
51	151	Shri Kr. Tej Singh.
52	160	Shri H. K. Vyas.

NOES 75

Serial No.	Divn. No.	Member's Name.
1	3	Shri Amrit Lal Yadav.
2	5	Shri Badri Lal.
3	6	Shri Badri Prasad Gupta.
4	9	Shri Bhagwan Singh Tarangi.
5	10	Shri Bhairav Lal 'Kala Badal'.
6	15	Shri Bhawani Sahai Sharma.
7	18	Shri Bhogi Lal Pandya.
8	19	Shri Bhola Nath.
9	21	Shri Bishambhar Nath Joshi.
10	25	Shri Jai Narain Vyas.
11	27	Shri Chhanga.
12	29	Shri Chhotu Singh.
13	31	Shri Chunni Lal Birla.
14	32	Shri Dalip Singh.
15	34	Shri Deen Bandhu Parmar.
16	37	Shri Dharam Pal.
17	38	Shri Dhulji Bhai Bhawsar.
18	40	Shri Durlabh Singh.
19	43	Shri Ghasi Ram.
20	44	Shri Ghasi Ram Yadava
21	45	Shri Ghisi Singh Katela.
22	48	Shri G. C. Kasliwal.
23	49	Shri Gurdayal Singh Sandhu.
24	51	Shri Hans Raj Arya from Bhadra.
25	52	Shri Hans Raj Jatia from Bari.
26	53	Shri Hari Deo Joshi.
27	56	Shri Hari Shankar Sidhant Shastri.
28	59	Shri Hazari Lal Sharma.
29	65	Shri Jai Chandra Mohil.
30	70	Shri Kanwar Lal Jalia.
31	72	Shri Kastur Chand.
32	80	Shri Ch. Kumbha Ram Arya.
33	81	Shri Ladhu Ram Choudhri.
34	82	Shri Lal Bahadur.
35	84	Shri Lalu Ram.
36	85	Shri Laxman Hirat.
37	88	Shri Madho Lal (Mehar).
38	92	Shri Mahadeo Prasad Banka.
39	94	Dr. Shri Mangal Singh from Bari.
40	95	Shri Manna Bhil.
41	96	Shri Manphool Singh Bhadoo.
42	99	Shri Mathura Das.
43	101	Maulvi Mohammad Ibrahim.
44	102	Shri Mohan Lal Sukhadia.
45	104	Shri Mota Ram.
46	105	Shri Moti Chand Khazanchi.
47	106	Shri Moti Lal Chaudhri.
48	109	Shri Narayan Chaturvedi.
49	110	Shri Narayan Lal.
50	112	Shri Narsinha Kachhawaha.
51	113	Shri Nathu Ram Mirdha.
52	116	Shri Prabhu Dayal.
53	123	Shri Ram Dayal Upadhaya.
54	124	Shri Ramji Lal Yadav.
55	125	Shri Ram Karan Joshi.
56	126	Shri Ram Kishore Vyas.
57	127	Shri Ram Lal Bansiwal.
58	128	Shri Ram Rattan Tikkiwal.
59	129	Shri Ridhi Chand Paliwal.
60	130	Shri Roshan Lal Sharma.
61	133	Shri Sampat Ram.
62	141	Shri Sribhan Singh.
63	142	Shri Shri Dass Goel.
64	143	Shri Srigopal Bhargava.
65	144	Shri Shyam Lal Goel.
66	145	Shri Sohan Lal Bhatnagar.
67	146	Shri Soma Wala Bhil.
68	147	Shri Sugan Chand Jain.
69	149	Shri Tej Mal Bapna.
70	152	Shri Tej Pal.
71	153	Shri Tika Ram Paliwal.
72	154	Shri Triveni Shyam Sharma.
73	155	Shri Udai Lal Verdia.
74	157	Shri Vedpal Tyagi.
75	159	Shri Virendra Singh.

परिशिष्ट ६

DIVISION NO. 2

AYES—50

II amendment of Shri Himmat Singh of Atru on clause 5 of The Habitual Offenders Bill.

Dated 18-2-1953.

Serial No.	Divn. No.	Member's Name
1	1	Shri Abani Kumar Mookerji.
2	2	Lt.-Col. Shri Rajadhiraj Amar Singh.
3	11	Major Th. Bhairon Singh from Sojat-Desuri.
4	12	Th. Shri Bhairon Singh from Bali-Desuri.
5	13	Shri Bhairon Singh from Rajsamand-Relmag.
6	16	Shri Bhairon Singh from Danta Ramgarh.
7	17	Shri Th. Bhim Singh.
8	20	Shri Bhopal Singh.
9	23	Maharaj Kumar Shri Brijendra Pal.
10	26	Pt. Chandra Kant Rao.
11	30	Shri Chittar Lal Sharma.
12	36	Th. Shri Dharam Chand.
13	39	Lt. Col. Shri R. Dileep Singh.
14	41	Shri Ganga Singh.
15	42	Shri Ganpat Singh.
16	46	Th. Shri Gopal Singh.
17	47	Shri Gopi Lal Yadav.
18	50	Shri Hanwant Singh.
19	54	Shri Hari Datta.
20	61	Shri Raj Himmat Singh from Atru.
21	63	Shri Ishwar Singh.
22	64	Shri Jagat Singh Jhala.
23	66	Kr. Shri Jaswant Singh.
24	67	Shri Jawan Singh Solanki.
25	68	Shri Jeyendra Singh.
26	69	Shri Kan Singh.
27	73	Shri Keshri Singh from Sojat Main.
28	75	Maharaj Shri Keshri Singh from Patan.
29	76	Shri Kesri Singh from Mandalgarh.
30	77	Shri Khet Singh.
31	93	Shri Mangal Singh Kachhwaha from Jodhpur Tehsil North.
32	97	Rawat Shri Man Singh.
33	98	Raja Shri Man Singh.
34	100	Shri Mohabbat Singh.
35	103	Shri Mohan Singh.
36	114	Shri Nathu Singh.
37	115	Shri Pratap Singh from Chittor.
38	117	Shri Pratap Singh from Sujangarh.
39	118	Shri Pyare Lal.
40	121	Major Apji Raghuraj Singh.
41	131	Pt. Roop Narain Shastri.
42	134	Shri Sangram Singh.
43	136	Shri Santosh Singh Kachhawaha.
44	137	Rao Raja Sardar Singh.
45	139	Rawat Shri Shambhu Singh.
46	140	Maharaj Shri Sheo Dan Singh.
47	148	Shri Tan Singh.
48	150	Shri Tej Raj Singh Gainta
49	151	Shri Kr. Tej Singh.
50	160	Shri H. K. Vyas.

NOES 63

Serial No.	Divn. No.	Member's Name.
1	3	Shri Amrit Lal Yadav.
2	5	Shri Badri Lal.
3	6	Shri Badri Prasad Gupta.
4	9	Shri Bhagwan Singh Traangi.
5	15	Shri Bhawani Sahai Sharma.
6	18	Shri Bhogi Lal Pandya.
7	19	Shri Bhola Nath.
8	21	Shri Bishambhar Nath Joshi.
9	25	Shri Jai Narain Vyas.
10	27	Shri Chhanga.
11	31	Shri Chunni Lal Birla.
12	32	Shri Dalip Singh.
13	34	Shri Deen Bandhu Parmar.
14	37	Shri Dharam Pal.
15	38	Shri Dhulji Bhai Bhawsar.
16	40	Shri Durlabh Singh.
17	43	Shri Ghasi Ram.
18	44	Shri Ghasi Ram Yadav.
19	45	Shri Ghisi Singh Katela.
20	48	Shri G. C. Kasilwal.
21	49	Shri Gurdayal Singh Sandhu.
22	52	Shri Hans Raj Jatia from Bari.
23	53	Shri Hari Deo Joshi.
24	56	Shri Hari Shankar Sidhant Shastri.
25	59	Shri Hazari Lal Sharma.
26	65	Shri Jai Chandra Mohil.
27	70	Shri Kanwar Lal Jalia.
28	72	Shri Kastur Chand.
29	80	Shri Ch. Kumbha Ram Arya.
30	82	Shri Lal Bahadur.
31	84	Shri Lalu Ram.
32	85	Shri Laxman Hirat.
33	94	Dr. Shri Mangal Singh from Bari.
34	95	Shri Manna Bhil.
35	96	Shri Manphool Singh Bhadoo.
36	99	Shri Mathura Das.
37	101	Maulvi Mohammad Ibrahim.
38	102	Shri Mohan Lal Sukhadia.
39	104	Shri Mota Ram.
40	105	Shri Moti Chand Khazanchi.
41	106	Shri Moti Lal Chaudhri.
42	112	Shri Narsinha Kachhawaha.
43	113	Shri Nathu Ram Mirdha.
44	116	Shri Prabhu Dayal.
45	124	Shri Ramji Lal Yadev.
46	125	Shri Ram Karan Joshi.
47	126	Shri Ram Kishore.
48	128	Shri Ram Ratan Tikkiwal.
49	129	Shri Ridhi Chand Paliwal.
50	130	Shri Roshan Lal Sharma.
51	133	Shri Sampat Ram.
52	141	Shri Sri Bhan Singh.
53	142	Shri Shri Dass Goel.
54	143	Shri Srigopal Bhargava.
55	144	Shri Shyam Lal Goel.
56	145	Shri Sohan Lal Bhatnager.
57	146	Shri Soma Wala Bhil.
58	147	Shri Sugan Chand Jain.
59	149	Shri Tej Mal Bapna.
60	153	Shri Tika Ram Paliwal.
61	154	Shri Triveni Shyam Sharma.
62	155	Shri Udai Lal Verdia.
63	157	Shri Vedpal Tyagi.